राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

चुनौतियाँ, समाधान एवं नवाचार
2017–2022

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर

12th National Voters' Day
12 वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी, 2022
MAKING ELECTIONS INCLUSIVE, ACCESSIBLE AND PARTICIPATIVE.
चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना

10th National Voters' Day

9th National Voters' Day

8वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस

STATE ELECTION COMMISSIONS
HARYANA - HP - DELHI - PUNJAB
WELCOME
ALL THE DIGNITARIES TO THE NORTH ZONE CONFERENCE OF
STATE ELECTION COMMISSIONERS
AT CHANDIGARH
EXIT

शासन सचिवालय, जयपुर
CHURU

राजस्थान
RAJASTHAN
जयपुर
AIPUR

निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर

आमुख

भारत के संविधान में 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान की धारा 243K एवं 243ZA के अन्तर्गत 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का गठन कर पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के समस्त चुनावों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं चुनाव संपन्न कराने हेतु इनके अधीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित की गई है।

वर्ष 1994 में आयोग के गठन के पश्चात् से आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव संपादित कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। वर्ष 2019 एवं 2020 में इन निकायों/संस्थाओं के पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण आयोग द्वारा इनके आम चुनाव करवाए जाने थे किन्तु विभिन्न कारणों, जिनमें मुख्यतया परिसीमन में विलम्ब, परिसीमन हेतु जारी आदेशों का माननीय न्यायालय में चुनौती दिया जाने एवं कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियाँ सम्मिलित है, से वर्ष 2019 एवं 2020 में संपन्न होने वाले आम चुनाव वर्ष 2019 से 2021 के मध्य संपन्न हो पाए।

पुस्तिका में विशेष रूप से वर्ष 2019 से 2021 के मध्य संपन्न हुए नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के दौरान उक्त पैरा में अंकित कारणों से उत्पन्न हुई कठिनाईयों/चुनौतियों का सामना करते हुए आयोग द्वारा किस प्रकार से इनका समाधान करते हुए चुनाव कराने के चुनौतीपूर्ण कार्य को निर्विवाद एवं सुरक्षित तरीके से संपादित कराने हेतु घटित हुए घटनाक्रमों को क्रमबद्ध रूप से समाहित करते हुए विस्तृत रूप में उनका उल्लेख किया गया है।

पुस्तिका में अंकित किए गए तथ्यों में कतिपय स्थानों पर तथ्यों की पुनरावृत्ति हुई है, किन्तु घटनाओं को समझाने के लिए यह आवश्यक था।

मैं, इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए श्रीमती चित्रा गुप्ता, सचिव, श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपचन्द कुमावत, सहायक प्रोग्रामर तथा आयोग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

दिनांक : जून 30, 2022

(प्रेम सिंह मेहरा)
आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान

प्राक्कथन

भारत के संविधान में 73 वें संशोधन, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX अन्तःस्थापित कर पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उक्त संविधान संशोधन की अनुपालना में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 जारी किया गया। पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन हेतु उक्त अधिनियम के अनुसरण में राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 बनाए गए।

भारत के संविधान में 74 वें संशोधन, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-A अन्तःस्थापित कर नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उक्त संविधान संशोधन की क्रियान्विति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में आवश्यक संशोधन किए गए तथा तत्पश्चात् वर्ष 2009 में संशोधित नवीन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 जारी किया गया। नगरपालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 बनाए गए।

भारत के संविधान की धारा 243K एवं 243ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का गठन 1994 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एकल सदस्य संस्था हैं, जिसके मुखिया राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आयोग में एक पद सचिव का हैं, जो पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। पंचायतीराज संस्थाओं तथा स्थानीय निकाय की मतदाता सूचियों की तैयारी एवं इनके आम एवं उप चुनाव संपन्न करवाना आयोग का मुख्य दायित्व हैं।

1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात् आयोग द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त सन 1994—1995, 1999—2000, 2004—2005, 2009—2010 एवं 2014—2015 में नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव सम्पन्न कराए गए।

वर्ष 2014—2015 में संपन्न हुए नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के पांच वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही इनके आम चुनाव कराए जाने थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा देरी से किए गए परिसीमन, राज्य सरकार द्वारा परिसीमन हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं को माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किए जाने एवं सुनवाई हेतु याचिकाओं के विचाराधीन होने, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचनों के दौरान नवीन नगरपालिकाओं का गठन एवं इनके गठन से प्रभावित पंचायतों का पुनर्गठन किया जाने तथा इन

सभी कारणों के साथ, कोविड–19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के कारण अधिरोपित किए प्रतिबंधों के कारण 49 नगरीय निकाय एवं 6759 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के आम चुनाव ही समय पर संपन्न हो पाए। शेष आम चुनाव वर्ष 2020 एवं 2021 में पृथक–पृथक समय पर संपन्न हो पाए।

वर्ष 2017 एवं इससे पूर्व नियमित अन्तराल से पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में समय–समय पर होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए उप चुनाव संपन्न करवाए जाते रहें हैं किन्तु जुलाई, 2017 के पश्चात् उप चुनाव हेतु लगभग प्रत्येक तीन से चार माह में इन संस्थाओं में हुई रिक्तियों की सूचनाएं नियमित रूप से एकत्रित की गई एवं उन रिक्तियों पर चुनाव संपन्न कराए गए। आयोग ने इस समयावधि में नगरीय निकायों में 21 बार एवं पंचायतीराज संस्थाओं में 22 बार उपचुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए।

इस पुस्तिका में 2017 से 2022 के दौरान आयोग द्वारा संपन्न कराए गए आम एवं उप चुनावों संबंधी गतिविधियों, आयोग के स्टाफिंग पैटर्न में सुधार हेतु किए गए प्रयत्नों, आयोग कार्यालय के नवीनीकरण संबंधी गतिविधियों, उक्त अवधि में किए गए नवाचारों, आयोग के समक्ष उपस्थित हुई चुनौतियों, चुनाव संबंधी प्रक्रियागत कमियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयत्न एवं राज्य सरकार को संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव तथा आयोग को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मजबूती प्रदान किए जाने के लिए किए गए प्रयासों को सम्मिलित किया गया है।

इस पुस्तिका की विषय वस्तु में इन वर्षो की गतिविधियों को सम्मिलित करने के पीछे उद्देश्य यह है कि यह समय न केवल कोरोना संक्रमण से प्रभावित था बल्कि पहली बार आयोग के समक्ष चुनाव करवाने के लिए आने वाली विभिन्न अड़चनों से निपटकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने की महत्ती चुनौती भी थी, जिसे आयोग ने पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा के साथ पूरा किया। इस अवधि की यह भी विशेषता रही कि आयोग द्वारा चुनाव के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार की श्रृंखला का सूत्रपात किया।

आयोग कार्यालय मे पदस्थापित रहे अधिकारियों का विवरण

वर्ष 2017 से 2022 तक चुनाव के दौरान विभिन्न अधिकारीगण ने आयोग कार्यालय में पदस्थापित रहकर पूर्ण निष्ठा एवं लगन से चुनाव कार्य संपन्न किया। आयुक्त महोदय एवं उक्त अवधि में आयोग कार्यालय में पदस्थापित रहे अधिकारीगणों का विवरण निम्नानुसार हैः—

आयुक्त (भारतीय प्रशासनिक सेवा) (सेवानिवृत्त)	**श्री प्रेम सिंह मेहरा**	**दिनांक 03.07.2017 से निरन्तर**

अन्य अधिकारीगणों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम		अधिकारी का नाम	कार्यकाल
1.	सचिव (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	1.	श्री चन्द्रशेखर मूथा	दिनांक 08.11.2016 से 07.01.2019 तक
		2.	श्रीमती शुचि त्यागी	दिनांक 11.01.2019 से 1.10.2019 तक
		3.	श्री श्याम सिंह राजपुरोहित	दिनांक 07.10.2019 से 31.10.2020 तक
		4.	श्रीमती चित्रा गुप्ता	दिनांक 26.11.2020 से निरन्तर
2.	उपसचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)	1.	श्री अशोक कुमार जैन	निरन्तर
3.	सहायक सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)	1.	श्री उत्तम सिंह	दिनांक 27.11.2017 से 6.8.2020 तक
		2.	श्री प्रवीण कुमार	दिनांक 10.08.2020 से 28.04.2022 तक
4.	सहायक सचिव (राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा)	1.	श्री सुनील दत्तात्रेय	दिनांक 20.04.2016 से 06.01.2020 तक
		2.	श्रीमती ज्योति प्रजापति	दिनांक 22.06.2020 से 21.06.2022 तक

चुनाव के दौरान आई चुनौतियाँ

(अ) पंचायतीराज संस्थाओं के परिसीमन में विलम्ब

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराने संबंधी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतीराज संस्थाओं में यदि किसी प्रकार का परिसीमन संबंधी कार्य किया जाना हो, तो उक्त कार्य मई, 2019 के मध्य तक आवश्यक रूप से कराने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 26.02.2019 को राज्य सरकार को लिखा गया।

राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.06.2019 एवं 11.07.2019 से जारी कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई के उपरान्त परिसीमन के प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा पंचायतीराज विभाग को भिजवाने हेतु तिथि 07.09.2019 निर्धारित की गई।

परिसीमन कार्य में विलम्ब होता देख आयोग द्वारा दिनांक 15.10.2019 को पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि पंचायतीराज संस्थाओं के संपूर्ण परिसीमन की सूचना दिनांक 05.11.2019 से 10.11.2019 के मध्य उपलब्ध करा दी जाएगी। विभाग के उक्त आश्वासन के आधार पर आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु इनकी निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 04.11.2019 को जारी कर दिया किन्तु उक्त समय सीमा में भी आयोग को परिसीमन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.11.2019 से विभाग को चेताया कि यदि विभाग द्वारा शीघ्र ही परिसीमन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो आयोग द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पुराने परिसीमन से चुनाव करा दिए जाएगें।

विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2019 को परिसीमन की सूचना उपलब्ध कराई गई। इन परिसीमन प्रस्तावों में ग्राम पंचायतों के वार्डो की संख्या एवं सीमाओं संबंधी आदेश उपलब्ध नहीं थे। आयोग द्वारा पुनः विभाग से जानकारी करने पर विभाग द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायतों के वार्डो की संख्या एवं सीमाओं के निर्धारण का कार्य संपन्न करने हेतु जिला कलक्टर को पत्रांक

2932 दिनांक 30.10.2019 जारी किया गया है। ग्राम पंचायतों के वार्डो की संख्या एवं सीमाओं के निर्धारण में विलम्ब होने से पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य समुचित रूप से प्रारंभ नहीं हो सका।

आयोग द्वारा दिनांक 22.11.2019 से विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग को पत्र प्रेषित कर नवीन परिसीमन के अनुसार पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु विभाग द्वारा आयोग को उक्त सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। ग्राम पंचायतों के वार्डो की संख्या एवं सीमाओं का निर्धारण नहीं होने, नवीन परिसीमन के पश्चात् आयोग स्तर पर वर्तमान ग्राम पंचायतों की समुचित जानकारी नहीं होने एवं राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के नवसृजन एवं पुनर्गठन हेतु दिनांक 01.12.2019 को जारी एक और अधिसूचना के कारण आयोग द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पंचायतीराज संस्थाओं की आंशिक ग्राम पंचायतों (दिनांक 01.12.2019 की उक्त अधिसूचना से प्रभावित ग्राम पंचायतों को छोडकर) के लिए ही निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कराया जा सका।

आम चुनाव में हो रहे विलम्ब एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K एवं पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराये जाने की संवैधानिक बाध्यता के कारण आयोग द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2019 से मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के साथ दिनांक 05.12.2019 को एक बैठक निर्धारित की गई। राज्य सरकार द्वारा आयोग को वांछित सूचना दिनांक 13.12.2019 को उपलब्ध कराई गई।

(ब) विभिन्न न्यायालयों में परिसीमन एवं चुनाव से संबंधित याचिकाओं का विचाराधीन होना0

–पंचायतीराज संस्थाओं के संबंध में

आयोग द्वारा बार–बार परिसीमन की सूचना चाहने पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के परिसीमन हेतु दिनांक 15/16.11.2019 को अधिसूचनाएं जारी की गई। उक्त परिसीमन में रही त्रुटियों के सुधार हेतु दिनांक 15/16.11.2019 को जारी अधिसूचनाओं में शुद्धि

हेतु दिनांक 23.11.2019 को अधिसूचना जारी की गई। इसके पश्चात् दिनांक 01.12.2019 को परिसीमन हेतु एक और अधिसूचना जारी की गई।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/16.11.2019 एवं दिनांक 01.12.2019 को परिसीमन हेतु जारी अधिसूचनाओं को DB Civil Writ Petition No.17993/2019 Jai Singh vs State of Rajasthan and other के साथ उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर में प्रस्तुत हुई 84 अन्य याचिकाओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उक्त याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा निस्तारित कर राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 15/16.11.2019 एवं उसकी शुद्धि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को छोडकर अन्य सभी अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया।

उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 30471/2019 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2020 से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2019 को स्थगित कर दिया गया। उक्त एस. एल. पी. में आयोग पक्षकार नहीं था। अतः आयोग द्वारा उक्त याचिका में पक्षकार बनने हेतु आवेदन (IA No. 12824/2020) दिनांक 21.01.2020 माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आयोग के उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2020 से उक्त याचिका में आयोग को भी पक्षकार बनाया गया।

उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2020 में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव माह अप्रैल, 2020 के द्वितीय भाग में कराने के निर्देश प्रदान किए गए।

दिनांक 24.03.2020 से देश में कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस कारण से पंचायतीराज संस्थाओं के शेष रहे आम चुनाव माह अप्रैल, 2020 में कराना संभव नहीं होने के कारण आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विविध आवेदन संख्या 1072/2020 प्रस्तुत कर उक्त समय सीमा में वृद्धि करने का निवेदन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त आवेदन निस्तारित करते हुए अपने आदेश दिनांक 08.07.2020 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 15.10.2020 तक बढाया गया।

– नगरीय निकाय के चुनाव के संबंध में

माह नवम्बर, 2019 में नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सहित 46 नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने एवं 6 नवगठित नगरपालिकाओं सहित कुल 52 नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न होने थे किन्तु राज्य सरकार द्वारा आम चुनाव से कुछ ही समय पहले दिनांक 18.10.2019 को नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को दो–दो भागों में विभाजित करते हुए क्रमशः नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण का सृजन किया गया।

6 नगर निगमों के सृजन हेतु जारी की गई अधिसूचनाएं दिनांक 18.10.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में डी. बी. सिविल रिट (PIL) संख्या 19007/2019 सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा 18880/2019 सुरेश कुमार तिवारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, द्वारा चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 से राज्य सरकार की उक्त अधिसूचनाओं को सही मानते हुए दिनांक 18.10.2019 से 6 माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए गए।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में आयोग द्वारा माह मार्च, 2020 में उक्त 6 नगर निगमों के आम चुनाव हेतु कार्यक्रम दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के फैलने की संभावना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आयोग द्वारा जारी किए गए 6 नगर निगमों के आम चुनाव के कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर D-B- Civil Misc- Application No- 50/2020 प्रस्तुत की गई। इस आवेदन के अतिरिक्त 8 अन्य याचिकाएं भी प्राइवेट पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। इन 8 याचिकाओं सहित राज्य सरकार का आवेदन माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2020 द्वारा निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 03.12.2019 में राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.10.2019 से छः माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने की अवधि को आगामी 6 सप्ताह तक बढ़ा दिया, जिससे चुनाव के लिए नियत अवधि मई, 2020 तक बढ गई। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में

आयोग के आदेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा इन 6 नगर निगमों के घोषित चुनाव कार्यक्रम दिनांक 12.03.2020 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करना पड़ा।

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दिनांक 24.03.2020 को लॉकडाउन की घोषणा के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत अवधि में चुनाव कराना संभव नहीं रह गया। इस कारण राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रमशः D-B- Civil Misc- Application No- 61/2020 एवं D-B- Civil Misc- Application No- 62/2020 प्रस्तुत कर चुनाव की समयावधि को बढाने की प्रार्थना की गई। उक्त दोनों आवेदनों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2020 द्वारा चुनाव की अवधि अगस्त, 2020 के अन्त तक बढाई गई।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) के संक्रमण के आधार पर जुलाई 2020 में पुनः उक्त समय सीमा को दिसम्बर, 2020 तक बढाने के लिए तीसरी बार D-B- Civil Misc- Application No- 84/2020 प्रस्तुत की गई। उक्त Misc - Application में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 द्वारा इन 6 नवगठित नगरनिगमों के चुनाव की समय सीमा को बढाकर अक्टूबर, 2020 के अन्त तक कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) के संक्रमण के आधार पर सितम्बर, 2020 में पुनः उक्त समय सीमा को बढाने के लिए चौथी बार D-B- Civil Misc- Application No- 129/2020 प्रस्तुत की गई। उक्त Misc- Application को माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2020 द्वारा खारिज करते हुए इन नगर निगमों के चुनाव हेतु नियत अवधि को बढाने से इंकार कर दिया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 21604/2020 पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 08.10.2020 द्वारा निस्तारित की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह निर्देश दिए गए कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सप्ताह में इन नगर निगमों का निर्वाचन नोटिफाई करे।

(स) कोविड–19 संक्रमण से सुरक्षा के समस्त उपायों के साथ चुनावों का आयोजन

कोविड–19 संक्रमण के दौरान देशभर में कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे थे। कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण चुनाव कराने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। माननीय न्यायालय द्वारा चुनाव कराने हेतु जारी किए गए आदेशों की पालना में आयोग पर राज्य के नागरिको को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए निर्वाचनों को संपन्न कराने के संवैधानिक दायित्व के सफलतापूर्वक निर्वहन की बडी चुनौती थी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड–19 संक्रमण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त कर संक्रमण की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा की। कोविड–19 महामारी के लक्षण एवं बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं गाईडलाईन जारी की जा रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी कोविड–19 संक्रमण के दौरान चुनाव कराने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत गाईडलाईन तैयार की गई। इस गाईडलाईन के जारी करने से पूर्व इस पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के सुझाव भी प्राप्त किए गए। जिला प्रशासन द्वारा उक्त गाईडलाईन को उपयुक्त मानने के पश्चात् उक्त गाईडलाईन जारी की गई।

गाईडलाईन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड–19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु मतदाताओं एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं चुनाव में नियोजित किए गए कार्मिकों के लिए कतिपय प्रतिबंध लगाए गए। चुनाव हेतु गठित किए गए मतदान दलों को उचित मात्रा में मास्क, दस्ताने, सैनेटाईजर इत्यादि उपलब्ध कराए गए। आयोग का भरसक प्रयास था कि चुनाव के कारण संक्रमण में वृद्धि ना हो एवं चुनाव में नियोजित सभी कार्मिक एवं मतदाता स्वयं एवं अन्य को सुरक्षित रखते हुये कोविड–19 संक्रमण से भयमुक्त होकर मतदान कार्य में भाग ले सके एवं चुनाव सुरक्षित संपन्न हो सके।

चुनाव में नियोजित कार्मिकों, मतदाताओं एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त आयोग पर कोविड पॉजिटिव मतदाताओं द्वारा सुरक्षित मतदान करने एवं चुनाव लडने वाले

अभ्यर्थियों के चुनाव लडने के हितो की रक्षा करने का चुनौतिपूर्ण दायित्व था। इस हेतु आयोग द्वारा कोविड पॉजिटिव मतदाताओं के मतदान करने एवं कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के चुनाव लडने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर विस्तृत आदेश जारी किए गए। इन आदेशों में प्रदान किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे कोविड पॉजिटिव को अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसको सूचित करने पर उक्त नोडल अधिकारी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को चिकित्सा विभाग द्वारा संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के अनुसार, यदि वह मतदाता है तो, मतदान करने तथा चुनाव लडने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी देख–रेख में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार निर्वाचनों में कोविड पॉजिटिव मतदाता के मतदान करने के अधिकार एवं कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों के चुनाव लडने संबंधी हितों का सफलता पूर्वक संरक्षण किया गया।

कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या को 1100 के स्थान पर 900 रखा गया। तदनुसार मतदान केन्द्रों की संख्या बढ गई। साथ ही मतदान के समय में एक घण्टे की वृद्धि की गई जिससे मतदाता आपस में उचित दूरी की पालना करते हुए मतदान कर सकें।

कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्रों का पुनः भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन में ऐसे मतदान केन्द्र, जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना के साथ मतदान किया जाना संभव नहीं हों, को बदल कर मतदान केन्द्रों हेतु अपेक्षाकृत बडे एवं खुले भवनों का चयन किया गया। जिन स्थानों पर बडे एवं खुले भवन उपलब्ध नहीं थे, उन स्थानों पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित कर मतदान करने हेतु मतदाताओं की संख्या को विभाजित कर दिया गया। उक्त निर्णय से मतदान केन्द्रों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई।

कोविड–19 महामारी के दौरान चुनाव कराना एक चुनौती थी, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा न सिर्फ आम जन को संक्रमण से बचाते हुए सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराए बल्कि कोविड–19 पॉजिटिव मतदाता एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के लोकतांत्रिक हितों की भी पूर्ण रक्षा की गई। आयोग के उक्त प्रयासों को प्रदेश में सराहा गया तथा राज्य के समाचार पत्रों ने इसे आयोग की उपलब्धि के तौर पर प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया।

नगरीय निकायों के आम चुनाव

वर्ष 2014 एवं इसके पश्चात् संपन्न हुए नगरीय निकायों के आम चुनाव का विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	अवधि	नगर निगम		नगर परिषद		नगर पालिका		कुल नगरीय निकाय	
		संख्या	वार्डो की संख्या	संख्या	वार्डो की संख्या	संख्या	वार्डो की संख्या	कुल संख्या	वार्डो की कुल संख्या
1.	नवम्बर, 14	6	386	18	765	22	545	46	1696
2.	अगस्त, 15	1	60	15	635	113	2656	129	3351
3.	दिसम्बर,15	—	—	—	—	8	190	8	190
4.	जनवरी, 16	—	—	1	35	2	45	3	80
5.	मार्च, 2016	—	—	—	—	1	20	1	20
कुल योग		**7**	**446**	**34**	**1435**	**146**	**3456**	**187**	**5337**

माह मार्च, 2016 में नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव के साथ ही राज्य की समस्त नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न हो गए थे।

वर्ष 2015 में संपन्न हुए आम चुनाव एवं आगामी आम चुनाव के मध्य आयोग द्वारा समय–समय पर उप चुनाव कराए गए। उपचुनावों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	अवधि	नगर निगम			नगर परिषद			नगर पालिका		
		महापौर	उप महापौर	सदस्य	सभापति	उपसभापति	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य
1	अगस्त, 2015	–	–	–	–	–	3	–	–	–
2.	फरवरी–मार्च, 2016	–	–	1	–	1	2	–	–	2
3.	अगस्त, 2016	–	–	1	–	–	2	–	–	4
4.	नवम्बर, 2016	–	–	2	–	–	2	1	–	6
5.	दिसम्बर 2016	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	मार्च, 2017	–	–	–	–	1	2	1	–	5
7.	सितम्बर, 2017	–	–	1	–	–	–	1	1	4
8.	दिसम्बर, 2017	–	–	–	1	–	5	2	–	8
9.	मार्च, 2018	–	–	–	1	1	4	1	–	2
10.	मई, 2018	–	–	1	–	–	2	–	–	6
11.	जुलाई, 2018	–	–	–	–	–	–	3	–	–
12.	अक्टूबर, 2018	–	–	–	–	–	–	–	–	2
13.	जनवरी 2019	1	–	–	–	–	–	2	–	–
14.	फरवरी 2019	–	–	–	–	–	–	1	1	–
15.	मार्च, 2019	–	–	–	–	–	–	1	–	–
16	जून, 2019	–	–	–	–	–	3	–	–	14
17.	अगस्त, 2019	–	–	2	–	–	2	–	–	9
कुल योग		**2**	**–**	**8**	**2**	**3**	**27**	**13**	**2**	**62**

वर्ष 2014 के आम चुनावों के समय 07 नगर निगम, 34 नगर परिषद एवं 146 नगरपालिकाओं सहित कुल 187 नगरीय निकाय अस्तित्व में थे। वर्ष 2019 के आम चुनाव से पूर्व राज्य सरकार द्वारा 6 नवीन नगरपालिकाएं सृजित की गई। इस प्रकार कुल 193 नगरीय निकाय अस्तित्व में आ गए।

राज्य के नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सहित 46 नगर निकायों का कार्यकाल माह नवम्बर, 2019 में समाप्त हो रहा था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 6 नगरपालिकाओं का सृजन किया गया था। इस प्रकार कुल 52 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में कराए जाने थे। स्वायत्त शासन विभाग ने अपने पत्रांक 2195 दिनांक 10.06.2019 के द्वारा राज्य की 193

नगर निकायों के वार्डो की संख्या का निर्धारण कर इनके पुनर्सीमाकंन हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। उक्त पत्र के अनुसार पुनर्सीमाकिंत वार्डो के राजपत्र में प्रकाशन हेतु अंतिम तिथि 19.08.2019 निर्धारित की गई। राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 10.06.2019 द्वारा निर्धारित किए गए वार्डो की संख्या एवं नवीन सीमांकन के अनुसार आयोग द्वारा नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित उक्त 52 नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करा ली गई थी एवं इन 52 निकायों में आम चुनाव की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई।

इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2019 को तीन अधिसूचनाएं जारी कर नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को दो भागों में विभाजित कर दो—दो नगर निगमों का सृजन कर दिया गया। नगर निगम जयपुर को नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर एवं नगर निगम जोधपुर एवं कोटा को क्रमशः नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के रूप में नवसृजित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2019 को जारी की गई अधिसूचनाओं से उक्तानुसार 6 नगर निगमों को सृजित कर नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के पूर्व परिसीमन की अधिसूचना को भी विखण्डित कर दिया गया, जिससे जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण इनके आम चुनाव कराया जाना संभव नहीं रहा।

3 नगर निगमों को विखण्डित कर 6 नवीन नगर निगमों के सृजन से राज्य में नगरीय निकायों की कुल संख्या 193 से बढकर 196 हो गई।

अतः आयोग द्वारा 43 नगरीय निकाय, जिनका कार्यकाल माह नवम्बर, 2019 में समाप्त हो रहा था एवं 06 नवगठित नगरपालिकाओं सहित कुल 49 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु दिनांक 25.10.2019 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया।

6 नगर निगमों के सृजन हेतु जारी की गई अधिसूचनाएं दिनांक 18.10.2019 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डी. बी. सिविल रिट (PIL) संख्या 19007/2019 सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा 18880/2019 सुरेश कुमार तिवारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, द्वारा चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 से राज्य सरकार की उक्त अधिसूचनाओं को सही मानते हुए दिनांक 18.10.2019 से 6 माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए गए।

उक्त 6 नगर निगमों के वार्डो का परिसीमांकन का कार्य राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2020 को पूर्ण कर लिया गया। वार्डो के सीमाकंन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आयोग द्वारा इनकी निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया एवं आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को उक्त 6 नगर निगमों की निर्वाचक नामावली तैयार करा ली गई।

आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.12.2019 की पालना में नवसृजित नगर निगम जयपुर जिले की जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के आम चुनाव माह अप्रैल, 2020 में कराने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई।

कोविड–19 संक्रमण के फैलने की संभावना के आधार पर राज्य सरकार ने आयोग द्वारा जारी किए गए 6 नगर निगमों के आम चुनाव के कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर D-B- Civil Misc- Application No- 50/2020 प्रस्तुत की गई। इस आवेदन के अतिरिक्त 8 अन्य याचिकाएं भी प्राइवेट पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। इन 8 याचिकाओं सहित राज्य सरकार का आवेदन माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2020 द्वारा निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय के अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 03.12.2019 में राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.10.2019 से छः माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने की अवधि को आगामी 6 सप्ताह तक बढ़ा दिया, जिससे चुनाव के लिए नियत अवधि मई 2020 तक बढ गई। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में आयोग के आदेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा इन नगर निगमों के घोषित कार्यक्रम दिनांक 12.03.2020 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करना पड़ा।

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दिनांक 24.03.2020 को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। उक्त लॉकडाउन के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत अवधि में चुनाव कराना संभव नहीं रह गया। इस कारण राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रमश: D-B- Civil Misc- Application No- 61/2020 एवं D-B- Civil Misc- Application No- 62/2020 प्रस्तुत कर चुनाव की समयावधि को बढाने की प्रार्थना की गई। उक्त दोनों आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2020 द्वारा चुनाव की अवधि अगस्त, 2020 के अन्त तक बढा गई।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) के संक्रमण के आधार पर जुलाई 2020 में पुनः उक्त समय सीमा को दिसम्बर 2020 तक बढाने के लिए तीसरी बार D-B- Civil Misc- Application No- 84/2020 प्रस्तुत की गई। उक्त Misc- Application में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 द्वारा इन 6 नवगठित नगरनिगमों के चुनाव की समय सीमा को बढाकर अक्टूबर, 2020 के अन्त तक कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) के संक्रमण के आधार पर सितम्बर, 2020 में पुनः उक्त समय सीमा को बढाने के लिए चौथी बार D-B- Civil Misc- Application No- 129/2020 प्रस्तुत की गई। उक्त Misc- Application को माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2020 द्वारा खारिज करते हुए इन नगर निगमों के चुनाव हेतु नियत अवधि को बढाने से इंकार कर दिया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 21604/2020 पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 08.10.2020 द्वारा निस्तारित की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में निर्देश दिए गए कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सप्ताह में इन नगर निगमों का निर्वाचन नोटिफाई करे। गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के साथ दिनांक 07.10.2020 को बैठक आयोजित कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए पुलिस बल की उपलब्धता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा उपरान्त दो चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया एवं उक्त 6 नगर निगमों के लिए पुनः आम चुनाव कार्यक्रम दिनांक 10.10.2020 को घोषित किया गया।

31 जिलों में 129 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो गया था, किन्तु राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के कारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत संक्रमण से बचाव हेतु लागू किए गए प्रतिबंध प्रभावी होने से उक्त आम चुनाव भी लम्बित हो गए थे।

चूंकि 21 जिलों में आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपादित कराए जा रहें थे, अतः इन जिलों में मैन पॉवर एवं पुलिस बल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चुनावों के साथ–साथ नगरपालिका चुनाव कराना संभव नहीं था। इसीलिए आयोग द्वारा 31 जिलों की 129 नगरपालिकाओं में लम्बित चल रहे आम चुनावों में से ऐसे 11 जिलों की 42 नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया, जहां जिला परिषद एवं पंचायत समिति

सदस्य के आम चुनाव नहीं हो रहे थे। लम्बित चल रहे शेष 87 नगर निकायों के आम चुनाव जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कराए जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों का कार्यकाल भी माह दिसम्बर, 2020 में समाप्त हो रहा था। अतः आयोग द्वारा इन 08 नगरीय निकायों के आम चुनाव भी उक्त 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव के साथ ही कराने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार कुल 42 नगरीय निकायों के लिए आम चुनाव कार्यक्रम दिनांक 07.11.2020 एवं 8 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम दिनांक 12.11.2020 को घोषित किया गया।

माह दिसम्बर, 2020 में 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के साथ शेष 12 जिलों में 50 नगरीय निकायों के आम चुनाव भी संपन्न हो गए। अब 20 जिलों की 87 नगरीय निकायों के लम्बित आम चुनाव होने शेष थे।

माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जोधपुर ने डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10399/2020, ओमप्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.12.2020 को आम चुनाव से शेष रही उक्त 87 नगर निकायों के आम चुनाव दिनांक 15 फरवरी, 2021 तक कराने के निर्देश दिये गए थे। उक्त 87 नगरीय निकायों के अतिरिक्त राजसमंद जिले की नगर परिषद राजसमंद और टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा और टोडारायसिंह का कार्यकाल भी माह जनवरी, 2021 में समाप्त हो रहा था। इस प्रकार आयोग द्वारा कुल 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 05.01.2021 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया।

उक्तानुसार कुल 196 नगरीय निकायों में से 195 नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न हो गए। झुंझुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार का कार्यकाल माह मार्च, 2021 में समाप्त हो रहा था। नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव कराने हेतु दिनांक 29.01.2021 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया।

इस प्रकार राज्य के 33 जिलों में समस्त 196 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाएं गए।

नगरीय निकायों एवं उनके सदस्यों की संख्या तथा गत आम चुनाव – एक दृष्टि में

नगरीय निकाय एवं उनके सदस्यों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	नगर निकाय का प्रकार	संख्या	वार्डो/सदस्यों संख्या
1.	नगर निगम	10	855
2.	नगर परिषद	34	1905
3.	नगरपालिका (17 नवगठित नगरपालिका सहित)	169	5190
कुल योग		**213**	**7950**

– गत आम चुनावों का विवरण

क्र.सं.	नगर निकाय	संख्या	वार्ड संख्या	चुनाव तिथि
1.	नगर निगम	3	215	सदस्य चुनाव–16.11.2019 मतगणना–19.11.2019 अध्यक्ष चुनाव–26.11.2019 उपाध्यक्ष चुनाव–27.11.2019
2.	नगर परिषद	18	1015	
3.	नगरपालिका	28	875	
कुल योग – अ		**49**	**2105**	
4.	नगर निगम	6	560	सदस्य चुनाव – 29.10.2020 व 01.11.2020 मतगणना–03.11.2020 अध्यक्ष चुनाव–10.11.2020 उपाध्यक्ष चुनाव–11.11.2020
कुल योग – ब		**6**	**560**	
5.	नगर परिषद	7	410	सदस्य चुनाव–11.12.2020 मतगणना–13.12.2020 अध्यक्ष चुनाव–20.12.2020 उपाध्यक्ष चुनाव–21.12.2020
6.	नगरपालिका	43	1365	
कुल योग – स		**50**	**1775**	
7.	नगर निगम	1	80	सदस्य चुनाव–28.01.2021 मतगणना–31.01.2021 अध्यक्ष चुनाव–07.02.2021 उपाध्यक्ष चुनाव–08.02.2021
8.	नगर परिषद	9	480	
9.	नगरपालिका	80	2475	
कुल योग – द		**90**	**3035**	
10.	नगरपालिका	1	25	सदस्य चुनाव– 20.02.2021 मतगणना– 22.02.2021 अध्यक्ष चुनाव– 01.03.2021 उपाध्यक्ष चुनाव– 02.03.2021
कुल योग – य		**1**	**25**	
महायोग (अ+ब+स+द+य)		**196**	**7500**	

17 नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियां तैयार हो चुकी है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण को पुनर्निर्धारित करने हेतु जारी आदेशों की पालना में यह कार्य राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

नगरीय निकायों के आम चुनाव के पश्चात् आयोग द्वारा माह मई, 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त रहें/हुए पदों पर उप चुनाव संपन्न कराए गए। संपन्न कराए गए उपचुनावों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	अवधि	नगर निगम सदस्य	नगर परिषद सदस्य	नगर पालिका	
				अध्यक्ष	सदस्य
1.	फरवरी, 2020	–	25	–	05
2.	जुलाई, 2021	02	04	02	12
3.	दिसम्बर, 2021	02	05	–	04
4.	मई, 2022	–	06	–	11
योग		**04**	**40**	**02**	**32**

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव

पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के अन्तर्गत पंचायत सर्किल, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं के वार्ड/पंचायत/निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन/नवसृजन करने के आदेश दिनांक 12.06.2019 को दिये गये और पुनर्गठन/नवसृजन की अधिसूचनाएं दिनांक 15/16.11.2019 एवं 02.12.2019 को जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के बाद राज्य में 33 जिलों में, 349 पंचायत समिति, 11315 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई। दिनांक 12.12.20219 को राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू एवं नागौर जिले में किए गए पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं परिसीमन में दोनों जिलों में 03 पंचायत समितियां एवं 26 ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया। इस प्रकार राज्य में सभी 33 जिलों में, 352 पंचायत समिति, 11341 ग्राम पंचायते अस्तित्व में आई।

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में वर्ष 2015 में 109469 पंच के पदों एवं 9872 सरपंच के पदों के लिए आम चुनाव तीन चरणों में कराया गया था।

वर्ष 2015 में संपन्न हुए आम चुनाव के पश्चात् आयोग द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित उप चुनाव कराए गएः–

क्र. सं.	चुनाव अवधि माह/वर्ष	पदों की संख्या								
		जिला प्रमुख	उप जिला प्रमुख	प्रधान	उप प्रधान	जिला परिषद. सदस्य	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	उप सरपंच	पंच
1.	जुलाई, 2015					2	11	13	48	863
2.	जनवरी, 2016				1	1	10	12	20	271
3.	अगस्त, 2016				1	6	24	21	15	258
4.	नवम्बर, 2016	1			1	3	24	32	27	260
5.	मार्च, 2017					1	8	28	16	216
6.	सितम्बर, 2017					2	24	63	24	292
7.	दिसम्बर, 2017			3	1	4	27	40	26	296
8.	मार्च, 2018					6	21	41	15	236
9.	जून, 2018			5		1	18	27	24	244
10.	अगस्त, 2018			1	2					
11.	अक्टूबर, दिसम्बर, 2018					1	12	17	15	169
12.	फरवरी, 2019			2	2				19	
13.	मार्च, 2019			4	1				17	
14.	मई, 2019			1					14	
15.	जून, 2019					9	75	49		612
16.	जुलाई, 2019			1						
कुल योग		**1**		**17**	**9**	**36**	**254**	**343**	**280**	**3717**

पंच एवं सरपंचों के लिए गत आम चुनाव दिनांक 19.01.2015 से दिनांक 02.02.2015 के मध्य संपन्न कराए गए थे। इन संस्थाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम दिनांक 04.11.2019 को जारी किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन/नवसृजन की दिनांक 15 एवं 16.11.2019 को जारी की अधिसूचनाओं के पश्चात् दिनांक 01.12.2019 की अन्य अधिसूचनाओं द्वारा ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया। जिससे 449 पंचायतों का पुनर्गठन कर 173 नई पंचायतों का सृजन किया गया। इस पुनर्गठन से पंचायत समिति एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित हो गये।

राज्य सरकार की 01.12.2019 की अधिसूचनाओं से प्रभावित संस्थाओं की निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन संभव नहीं होने के कारण आयोग के आदेश दिनांक 02.12.2019 द्वारा इन अधिसूचनाओं से प्रभावित पंचायती राज संस्थाओं को छोडकर निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन करने के निर्देश जारी किए। दिनांक 01.12.2019 को जारी अधिसूचनाओं से प्रभावित संस्थाओं की निर्वाचक नामावली तैयार करने का पृथक से कार्यक्रम दिनांक 08.12.2019 को जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16.12.2019 को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन एवं दिनांक 06.01.2020 को अंतिम प्रकाशन किया जाना नियत किया गया।

राज्य सरकार के परिसीमन की उक्त अधिसूचनाओं को DB Civil Writ Petition No.17993/2019 Jai Singh vs State of Rajasthan and other के साथ उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में प्रस्तुत हुई 84 अन्य याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा निस्तारित कर राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 15/16.11.2019 एवं उसकी शुद्धि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को छोडकर अन्य सभी अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2019 के कारण आयोग का निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम दिनांक 08.12.2019 प्रत्याहरित किया गया और पुनः परिवर्तित कार्यक्रम दिनांक 17.12.2019 जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार शेष रही पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 22.01.2020 को होना नियत किया गया।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की 9171 ग्राम पंचायतें, राज्य सरकार द्वारा परिसीमन हेतु दिनांक 15/16.11.2019 की अधिसूचना के पश्चात जारी की गई अधिसूचनाओं से प्रभावित नहीं थी। इनकी निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को कर दिया गया। इन ग्राम पंचायतों में चुनाव तीन चरणों में कराये जाने के लिए दिनांक 26.12.2019 को कार्यक्रम घोषित किया गया।

उक्त तीन चरणों के अतिरिक्त राज्य सरकार की परिसीमन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 01.12.2020 से प्रभावित ग्राम पंचायतों में से 1954 ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल माह जनवरी–फरवरी, 2020 में ही समाप्त हो रहा था, के चुनाव कराये जाने के लिए चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम दिनांक 04.01.2020 को घोषित किया गया।

DB Civil Writ Petition No.17993/2019 Jai Singh vs State of Rajasthan and other में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 30471/2019 दायर कर चुनौती दी गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2020 से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2019 को स्थगित (Stay) कर दिया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08.01.2020 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के परिसीमन हेतु दिनांक 15/16.11.2019 के बाद जारी की गई अधिसूचनाएं पुनः प्रभावी होने के कारण आयोग द्वारा चतुर्थ चरण के लिए जारी कार्यक्रम को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2019 को तीन चरणों के लिए जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम में सम्मिलित ऐसी ग्राम पंचायतें, जो राज्य सरकार की दिनांक 15/16.11.2019 के बाद जारी की गई अधिसूचनाएं से प्रभावित थी, को छोडते हुए दिनांक 09.01.2020 को जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समितिवार कुल 6759 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम यथावत जारी रखा गया।

दिनांक 09.01.2020 को जारी संशोधित कार्यक्रम से पूर्व, चूंकि प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाकर निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जा चुकी थी, अतः ऐसी 1119 ग्राम पंचायतें जिन्हें चुनाव कार्यक्रम से बाहर किया गया उनके लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों को सीलबंद कर विधिसम्मत अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के परिसीमन हेतु दिनांक 15/16.11.2019 के बाद जारी की गई अधिसूचनाओं से नवसृजित/पुर्नगठित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का गठन एवं आरक्षण की कार्यवाही किए जाने के पश्चात् आयोग द्वारा दिनांक 28.02.2020 को जिन ग्राम पंचायतों के नाम निर्देशन पत्रों को सीलबंद रखा गया था, उनमें से ऐसी 704 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिनांक 28.02.2020 को जारी किए गए जिनमें आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उक्त 704 ग्राम पचांयतो के चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 16.03.2020 को पूर्ण कर ली गई। शेष 415 ग्राम पंचायतें, जिनमें आरक्षण प्रभावित हुआ था, की चुनाव प्रक्रिया, जो पूर्व में शुरू की गई थी, को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार माह जनवरी–फरवरी, 2020 में 6759 एवं मार्च, 2020 में 704 कुल 7463 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के आम चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया।

राज्य सरकार द्वारा फिर से किए गए परिसीमन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में Special Leave Petition No.30471/2019 State of Rajasthan and other vs Jai Singh प्रस्तुत की गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने **आदेश दिनांक 24.01.2020 में पंचायतीराज संस्थाओं के शेष आम चुनाव माह अप्रैल, 2020 के द्वितीय भाग में कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे।**

दिनांक 24.03.2020 से देश में कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस कारण से पंचायतीराज संस्थाओं के शेष रहे आम चुनाव माह अप्रैल, 2020 में कराना संभव नहीं हो पाया। इन परिस्थितियों में आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विविध आवेदन संख्या 1072/2020 प्रस्तुत कर उक्त समय सीमा में वृद्धि करने का निवेदन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त आवेदन निस्तारित करते हुए अपने **आदेश दिनांक 08.07.2020 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 15.10.2020 तक बढाया गया।**

आम चुनाव से शेष रही 3878 ग्राम पंचायतों मे से 3859 ग्राम पंचायतें राज्य सरकार द्वारा देरी से किए गए परिसीमन से प्रभावित होने के कारण इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भी इनके आम चुनाव तत्समय नहीं कराये जा सके। इसके अतिरिक्त जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी एवं जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाड का कार्यकाल भी माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो रहा था। इस तरह कुल 3861 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव ड्यू हो गए।

इसी बीच राज्य सरकार द्वारा माह अगस्त, 2020 में नवीन नगरपालिकाओं का गठन किया गया। नवीन नगरपालिकाओं के गठन से उक्त 3861 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्राम पंचायतों (अलवर जिले की 7 ग्राम पंचायते लेकडी, कफनवाडा, लीली, मौजपुर, हसनपुर, चिमरावली गौड एवं लक्ष्मणगढ, भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत सीकरी, दौसा जिले की ग्राम पंचायत मंडावरी, जयपुर जिले की ग्राम पंचायत बस्सी, जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा एवं सवाईमाधोपुर जिले की ग्राम पंचायत बामनवास पट्‌टीकला एवं बामनवास खुर्द) को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। ऐसी ग्राम पंचायतें जिन्हें पूर्ण रूप से नगरपालिका में सम्मिलित नहीं किया गया, वे ग्राम पंचायतें पंचायत के रूप में अस्तित्व में नहीं रह गई। इस प्रकार आम चुनाव से अब केवल 3847 ग्राम पंचायतें ही शेष रह रही थी। इसके अतिरिक्त आम चुनाव से शेष रही 21 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल तत्समय समाप्त नहीं होकर वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में समाप्त होना था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा प्रदान की गई राय के अनुसार आयोग द्वारा आम चुनाव से शेष रही 3847 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच का आम चुनाव चार चरणों में कराने का निर्णय लिया जाकर चुनाव कार्यक्रम दिनांक 07.09.2020 को घोषित किया गया।

इस प्रकार आयोग द्वारा माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 तक कुल 11310 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव संपन्न करा लिए गए। 31 ग्राम पंचायतों में से नगरपालिका गठन से 14 ग्राम पंचायतें विलोपित हो गई। शेष 17 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होने के कारण तत्समय नहीं होना था।

राज्य सरकार द्वारा माह जून एवं अगस्त, 2020 में अधिसूचनाएं जारी कर 17 नगरपालिकाओं का गठन किया गया। उक्त 17 नगरपालिकाएं 12 जिलों (जयपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर) में सृजित की गई। इन नगरपालिकाओं के सृजन से कुल 48 ग्राम पंचायत पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई। पंचायतीराज विभाग के अनुसार जयपुर जिले की पंचायत समिति पावटा, भरतपुर जिले की पंचायत समिति उच्चैन एवं अलवर जिले की पंचायत समिति कठूमर की कुछ ग्राम/ग्राम पंचायतों को छोडकर उक्त 17 नगरपालिकाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं की सूची से पृथक भी कर दिया गया। पंचायतीराज विभाग के अनुसार उक्त 48 ग्राम पंचायतों के पूर्ण

अथवा आंशिक क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित होने से शेष रहे ग्रामों/क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के पश्चात् **संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं कतिपय स्थानों पर इनके आरक्षण में भी परिवर्तन होना संभावित था।**

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन DB Civil Writ Petition No. 10890/2020 Prasant vs State of Rajasthan and others एवं 4 अन्य समान प्रकृति की याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा नवीन नगरपालिकाओं के गठन हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम स्थगन प्रदान कर दिया जाने से नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसलिए नवसृजित 17 नगरपालिकाओं से प्रभावित उक्तानुसार 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराना संभव नहीं रह गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम दिनांक 24.10.2020 को घोषित किया गया। उक्त 21 जिलों का विवरण निम्नानुसार हैः—

1	अजमेर	8	चूरू	15	नागौर
2	बांसवाडा	9	डूंगरपुर	16	पाली
3	बाडमेर	10	हनुमानगढ	17	प्रतापगढ
4	भीलवाडा	11	जैसलमेर	18	राजसमंद
5	बीकानेर	12	जालौर	19	सीकर
6	बूंदी	13	झालावाड	20	टोंक
7	चित्तौडगढ	14	झुंझुंनू	21	उदयपुर

माह सितम्बर—अक्टूबर, 2020 में संपन्न हुए 3847 ग्राम पंचायतों के साथ ही कुल 11310 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। 17 ग्राम पंचायतों (जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल

तत्समय पूर्ण नहीं हुआ था) में से 10 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल माह जनवरी, 2021 में समाप्त हो रहा था। इन 10 ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	अजमेर	अजमेर ग्रामीण	सेन्दरिया, कायड, नारेली, घूघरा, माकडवाली, हाथीखेडा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर
2.	जयपुर	किशनगढ रेनवाल	मूण्डली रणजीतपुरा

आयोग द्वारा उक्त 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम दिनांक 11.01.2021 को जारी किया गया। इस प्रकार कुल 11320 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव संपन्न हो गए।

उक्त 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव संपन्न होने के पश्चात् शेष 07 ग्राम पंचायतों की पांच वर्ष की समयावधि तत्समय तक पूर्ण नहीं होने से इन 07 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव नहीं कराए गए।

21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न होने के पश्चात आम चुनाव से शेष रहे 12 जिलों में आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 09.02.2021 को नगरपालिका गठन से प्रभावित 18 पंचायत समितियों को छोडते हुए शेष पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी किया गया। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा इन 12 जिलों में नवगठित नगरपालिकाओं हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं को निरस्त/विखण्डित कर दिया गया, जिससे इन 12 जिलों में नगरपालिका गठन से प्रभावित 18 पंचायत समितियों, जिनको आयोग द्वारा दिनांक 09.02.2021 को जारी निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से पृथक रखा गया था, में चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने में अडचन समाप्त हो गई।

अतः आयोग द्वारा उक्त 18 पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु पत्रांक 1368 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया किन्तु राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2021, 24.03.2021 एवं 25.03.2021 को उक्त 12 जिलों में पूर्व की भांति ही पुनः 17 नगरपालिकाओं का सृजन कर दिया गया। 17 नवीन नगरपालिकाओं के पुनः गठन

के कारण पंचायतीराज विभाग के स्तर पर नवीन नगरपालिकाओं में सम्मिलित किए गए पंचायत क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक करने एवं नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पूर्ण अथवा आंशिक ग्रामों/क्षेत्रों के परिसीमन/पुनर्गठन की प्रक्रिया के पूर्ण करने एवं संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं कतिपय स्थानों पर इनके आरक्षण के पुनः निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अतः नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं का परिसीमन/पुनर्गठन अपेक्षित होने से आयोग के आदेश दिनांक 24.02.2021 के द्वारा तैयार हो रही इन पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम प्रभावित हो गया।

पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त 12 जिलों में से 7 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर) के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं आरक्षण का पुनः निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 25.06.2021 को पूर्ण की गई। आयोग द्वारा उक्त 7 जिलों की 9 पंचायत समितियों (नगर, उच्चैन, लालसोट, बस्सी, पावटा, भोपालगढ, बामनवास, सादुलशहर एवं सिरोही) की मतदाता सूची तैयार करने हेतु पत्रांक 2677 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा पुनः निर्वाचक नामावलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया।

शेष 5 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली एवं कोटा) में पुनर्गठन की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों का विलोपन/नवसृजन एवं पुनर्गठन होने से इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के साथ जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं आरक्षण का पुनः निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 15.07.2021 को पूर्ण कर सूचना भिजवाई गई। अतः आयोग द्वारा उक्त 5 जिलों की 9 पंचायत समितियों (बानसूर, लक्ष्मणगढ, रामगढ, कठूमर, अटरू, बसेडी, सरमथुरा, सपोटरा एवं सुल्तानपुर) के लिए पुनः निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोग के पत्रांक 3153 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा जारी किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव अगले माह एवं शेष 5 जिलों के आम चुनाव दिनांक 31.10.2021 तक संपन्न कराने के निर्देश प्रदान किए।

उक्त 7 जिलों में सम्मिलित श्रीगंगानगर जिलें की नगरपालिका गठन से प्रभावित पंचायत समिति सादुलशहर के लिए भी आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करा ली गई थी, किन्तु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2021 को अधिसूचना जारी कर नवगठित नगरपालिका

लालगढ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। चूंकि नगरपालिका से पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किया जाना था, अतः इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों तथा आरक्षण में परिवर्तन की स्थिति जानने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तथा पंचायतीराज विभाग के सचिवों के साथ दिनांक 26.07.2021 को आयोजित बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा अपने पत्रांक 04.08.2021 के क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि नगरपालिका लालगढ जाटान से पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु पंचायत समिति सादुलशहर के सदस्यों का आरक्षण प्रभावित होने के कारण पंचायत समिति सादुलशहर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन एवं पुनः आरक्षण का कार्य किया जाना है। अतः उक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त आयोग द्वारा श्रीगंगानगर जिले को इस चुनाव कार्यक्रम से पृथक रखने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग द्वारा 6 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोही) के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव तीन चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम दिनांक 05.08.2021 को घोषित किया गया।

आयोग द्वारा 27 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न होने के पश्चात् आम चुनाव से शेष रहे 6 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव होने शेष थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली एवं कोटा) के आम चुनाव दिनांक 31.10.2021 तक संपन्न कराने के निर्देश प्रदान किए किन्तु जिला बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 को डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 एवं अन्य 4 समान याचिकाओं से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिनांक 28.07.2021 को जारी आदेश से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर स्थगन प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन की अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 पर

स्थगन प्रदान किए जाने से इन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित हो गए, जिसके कारण इन तीन जिलों बारां, कोटा एवं करौली में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने में विधिक अडचन उत्पन्न हो गई।

श्रीगंगानगर जिलें की नवगठित नगरपालिका लालगढ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक करने से, पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण तथा पदों के पुनः आरक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण उक्त जिले में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नही कराए जा सकते थे।

जिला बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने एवं श्रीगंगानगर जिलें की पंचायत समिति सादुलशहर में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण एवं आरक्षण में परिवर्तन संभावित होने तथा मामला राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित होने के कारण आयोग के लिए इन चारों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कराना संभव नहीं था।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को पारित आदेश की अनुपालना में आयोग द्वारा जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। अतः अलवर एवं धौलपुर जिलें में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव तीन चरणों में कराए जाने हेतु कार्यक्रम दिनांक 27.09.2021 को जारी किया गया।

29 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। आम चुनाव से शेष रहे 4 जिलों (बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) में से बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 को डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 एवं अन्य 4 समान याचिकाओं से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिनांक 28.07.2021 को जारी आदेश से राज्य सरकार द्वारा जारी

अधिसूचना पर स्थगन प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन की अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 पर स्थगन प्रदान किए जाने से इन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित होने से राज्य सरकार द्वारा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन किए जाने के कारण उक्त तीनों जिलों में आम चुनाव लम्बित चल रहे थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 857 दिनांक 05.10.2021 जारी किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2021 से निस्तारित करते हुए प्रकरण में प्रदान किए गए स्थगन को भी समाप्त (Vacate) कर दिया। अतः उक्त तीनों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले में नवगठित नगरपालिका लालगढ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामो (10 एलएलजी, 19 एसडीएस, 21 एसडीएस व 7 एलएलजी के ब्लॉक संख्या 194, 119, 116 व 220) को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक कर इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण तथा पदों के पुनः आरक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से श्रीगंगानगर जिलें में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव भी लम्बित चल रहे थे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.10.2021 को आयोग को अवगत कराया कि पंचायत समिति सादुलशहर की प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्डो का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। अतः श्रीगंगानगर जिलें में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

उक्त चारों जिलों में चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद आयोग द्वारा इन जिलों में आम चुनाव कराए जाने हेतु जिला बारां, कोटा एवं करौली में भ्रमण कर एवं श्रीगंगानगर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त आयोग द्वारा जिला बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 24.11.2021 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया।

इस प्रकार आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न कराए गए।

पंचायतीराज संस्थाओं के उक्तानुसार संपन्न हुए आम चुनाव माह जनवरी, 2020 में एक ही बार में होने थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा देरी से एवं बार–बार किए गए परिसीमन, परिसीमन हेतु जारी अधिसूचनाओं को माननीय न्यायालयों में चुनौती दिए जाने एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में स्थगन प्रदान करने, उक्त प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु लम्बित रहने, कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन होने एवं विभिन्न प्रतिबंध लागू रहने, राज्य सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नवीन नगरपालिकाओं का गठन करने, नवीन नगरपालिकाओं के गठन हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं का माननीय न्यायालय में चुनौती दिए जाने एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में स्थगन प्रदान करने, उक्त प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु लम्बित रहने संबंधी कारणों से ये आम चुनाव सात बार में माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 के मध्य संपन्न हुए।

पंचायतीराज विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 जारी कर पांच जिलों में नगरपालिका गठन से प्रभावित कुल 17 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित किया गया एवं 3 ग्राम पंचायतों को विलोपित किया गया। उक्त 14 ग्राम पंचायतों में से अलवर जिले की 4 ग्राम पंचायतें (लेकडी, चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा) राज्य सरकार द्वारा इनके आम चुनाव से पूर्व किए गए परिसीमन से प्रभावित होने के कारण इनमें आम चुनाव शेष चल रहे थे। पंचायतीराज विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया जाने से इनके आम चुनाव हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।

पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 के क्रम में संशोधित अधिसूचना दिनांक 05.10.2021 जारी कर अलवर जिले की 4 ग्राम पंचायतों (लेकडी, चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा), जिनके आम चुनाव लम्बित चल रहे थे, को छोडकर शेष 10 ग्राम पंचायतों में इनका पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण अधिसूचना दिनांक 05.10.2021 से इन 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव नए सिरे से कराने संबंधी तथ्यों को विलोपित कर दिया गया।

आम चुनाव से शेष चल रही अलवर जिले की 04 ग्राम पंचायतों एवं राजसमंद तथा सवाईमाधोपुर जिले की 04 ग्राम पंचायतें, जिनका कार्यकाल माह मई, 2022 में समाप्त हो रहा था, को मिलाकर कुल 08 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा इनकी निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु दिनांक 07.02.2022 को निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया

गया। अलवर जिले की 04 ग्राम पंचायतों एवं राजसमंद तथा सवाईमाधोपुर जिले की 04 ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	अलवर	बानसूर	लेकडी
		लक्ष्मणगढ	चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा
2.	राजसमंद	भीम	कूकडा, लसाडिया एव थोनटा
3.	सवाईमाधोपुर	बामनवास	भांवरा

आयोग द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निवर्हन के लिए अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 से पुनर्गठित 10 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। इन 10 ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	करौली	सपोटरा	गोठरा
2.	कोटा	सुल्तानपुर	पडासलिया, खेडलीतॅवरान एवं किशोरपुरा
3.	धौलपुर	बसेडी	बरई
4.	अलवर	रामगढ	ललावण्डी, खालसा नगर एवं खानपुरकलां
5.	बारां	अटरू	मेरमाचाह एवं बरलां

उक्त 10 पुनर्गठित ग्राम पंचायतों में आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा इनकी निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु दिनांक 25.02.2022 को पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 04.04.2022 को कर दिया गया।

पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी करने के पश्चात इन ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति प्रदान करते हुए इनके आम चुनाव पर स्थगन प्रदान कर दिया गया।

पंचायतीराज संस्थाओं एवं सदस्यों की संख्या एवं वर्ष 2020–21 में संपन्न हुए आम चुनावों का विवरण – एक दृष्टि में

– पंचायतीराज संस्थाओं की संख्या एवं पदों का विवरण

क्र. सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
1.	जिला परिषद की कुल संख्या	33
2.	जिला परिषद सदस्यों की कुल संख्या	1014
3.	पंचायत समितियों की कुल संख्या	352
4.	पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या	6995
5.	ग्राम पंचायतों/सरपंचों की कुल संख्या	11307
6.	पंचों की कुल संख्या	108931

– पंच एवं सरपंच के आम चुनाव वर्ष, 2020 का विवरण

क्र. सं.	चुनाव का माह एवं वर्ष	चरण का विवरण/ मतदान दिनांक	ग्राम पंचायतों की संख्या	पदों का विवरण	
				सरपंच एवं उपसरपंच	पंच
1.	जनवरी, 2020	प्रथम चरण (17.01.2020)	2726	2726	26800
		द्वितीय चरण (22.01.2020)	2333	2333	22593
		तृतीय चरण (29.01.2020)	1700	1700	17516
		योग – A	**6759**	**6759**	**66909**
2.	मार्च, 2020	चतुर्थ चरण (15.03.2020)	704	704	6258
		योग – B	**7463**	**7463**	**73167**
3.	सितम्बर–अक्टूबर, 2020	प्रथम चरण (28.09.2020)	**947**	**947**	**8909**
		द्वितीय चरण (03.10.2020)	**1028**	**1028**	**9662**
		तृतीय चरण (06.10.2020)	**975**	**975**	**8903**
		चतुर्थ चरण (10.10.2020)	**897**	**897**	**8481**
		योग –C	**3847**	**3847**	**35955**
4.	जनवरी, 2021	**22.01.2021**	**10**	**10**	**106**
		योग – D	**10**	**10**	**106**
		महायोग A+B+C+D	**11320**	**11320**	**109228**

– जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव वर्ष, 2020–21 का विवरण

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">चुनाव का माह एवं वर्ष</th><th rowspan="2">चरण का विवरण/ मतदान दिनांक</th><th colspan="2">जिला परिषद के पदों का विवरण</th><th colspan="3">पंचायत समिति के पदों का विवरण</th></tr>
<tr><th>जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों एवं सदस्यों की संख्या</th><th>प्रमुख/ उप प्रमुख के पदों की संख्या</th><th>पंचायत समितियों की संख्या</th><th>पंचायत समिति नि. क्षेत्रों एवं सदस्यों की संख्या</th><th>प्रधान/ उप प्रधान</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">नवम्बर– दिसम्बर, 2020</td><td>प्रथम चरण (23.11.2020)</td><td rowspan="4">636</td><td rowspan="4">21</td><td>65</td><td>1310</td><td>65</td></tr>
<tr><td>द्वितीय चरण (27.11.2020)</td><td>59</td><td>1137</td><td>59</td></tr>
<tr><td>तृतीय चरण (01.12.2020)</td><td>52</td><td>1016</td><td>52</td></tr>
<tr><td>चतुर्थ चरण (05.12.2020)</td><td>46</td><td>908</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग – A</td><td>636</td><td>21</td><td>222</td><td>4371</td><td>222</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">अगस्त– सितम्बर, 2021</td><td>प्रथम चरण (26.08.2021)</td><td rowspan="3">200</td><td rowspan="3">6</td><td>25</td><td>521</td><td>25</td></tr>
<tr><td>द्वितीय चरण (29.08.2021)</td><td>28</td><td>536</td><td>28</td></tr>
<tr><td>तृतीय चरण (01.09.2021)</td><td>25</td><td>560</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग – B</td><td>200</td><td>6</td><td>78</td><td>1564</td><td>78</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td rowspan="3">अक्टूबर, 2021</td><td>प्रथम चरण (20.10.2021)</td><td rowspan="3">72</td><td rowspan="3">2</td><td>7</td><td>153</td><td>7</td></tr>
<tr><td>द्वितीय चरण (23.10.2021)</td><td>8</td><td>172</td><td>8</td></tr>
<tr><td>तृतीय चरण (26.10.2021)</td><td>7</td><td>167</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग –C</td><td>72</td><td>2</td><td>22</td><td>492</td><td>22</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td rowspan="3">नवम्बर– दिसम्बर, 2021</td><td>प्रथम चरण (12.12.2021)</td><td rowspan="3">106</td><td rowspan="3">4</td><td>11</td><td>187</td><td>11</td></tr>
<tr><td>द्वितीय चरण (15.12.2021)</td><td>12</td><td>240</td><td>12</td></tr>
<tr><td>तृतीय चरण (18.12.2021)</td><td>7</td><td>141</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग – D</td><td>106</td><td>4</td><td>30</td><td>568</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">महायोग A+B+C+D</td><td>1014</td><td>33</td><td>352</td><td>6995</td><td>352</td></tr>
</table>

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के पश्चात् आयोग द्वारा माह मई, 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त रहें/हुए पदों पर उप चुनाव संपन्न कराए गए। पंचायतीराज संस्थाओं में संपन्न कराए गए उपचुनावों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	चुनाव का माह/वर्ष	पदों का विवरण एवं संख्या						
		उप प्रमुख	उप प्रधान	जिला परिषद सदस्य	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	उप सरपंच	पंच
1.	फरवरी, 2020	–	–	–	–	–	19	–
2.	फरवरी, 2021	01	–	–	–	–	50	–
3.	जुलाई, 2021	–	–	–	–	48	08	71
4.	सितम्बर, 2021	–	–	–	–	26	40	1247
5.	दिसम्बर, 2021	–	02	02	13	05	15	105
6.	मई, 2022	–	01	02	21	32	40	505
योग		**01**	**03**	**04**	**34**	**111**	**172**	**1928**

चुनाव बहिष्कार के कारण रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु प्रयास

आयोग द्वारा वर्ष 2020 एवं 2021 में संपन्न कराए गए पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों, जिला प्रशासन एवं आयोग कार्यालय में प्राप्त पत्रादि के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी कारण, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन से असंतुष्ट होने से चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। चुनाव बहिष्कार के कारण जिन पदों के लिए या तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुए या मतदाताओं द्वारा मतदान के बहिष्कार के कारण मतदान नहीं किया गया, ऐसे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	पंच वार्ड संख्यांक
1.	अजमेर	सरवाड		सदापुर		7
2.	भरतपुर	बयाना		पुरावाईखेडा		10
		बयाना		पुरावाईखेडा		11
		रूपवास		नौहरदा		9
3.	दौसा	बैजूपाड़ा	16			
		बैजूपाड़ा		टुडियाना	सरपंच	1–11
		बैजूपाड़ा		बालाहेड़ी	सरपंच	1–11
		बैजूपाड़ा		गगवाना	सरपंच	1–9
4.	जयपुर	कोटखावदा		बल्लूपूरा	सरपंच	1–5
		तूंगा		किशनपुरा		5–7
		तूंगा		बराला		7
		तूंगा		सांभरिया	सरपंच	1–11
		तूंगा		पालावाला जाटान	सरपंच	1–7
		तूंगा		खिजूरिया ब्राहम्णान	सरपंच	1–7
		तूंगा	2			
		तूंगा	16			
5.	नागौर	भैरून्दा		लाडपुरा		6
		कुचामनसिटी		नारायणपुरा		11
6.	सीकर	अजीतगढ		लादी का बास	सरपंच	1–11

उक्त पदों के रिक्त रहने के कारणों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस कार्य हेतु जिला प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजकर पद रिक्त रहने के कारणों एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी करने के निर्देश प्रदान किए। उक्त अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर जाकर स्थानीय नागरिकों से चर्चा करने पर नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासी राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन से असंतुष्ट है एवं विरोधस्वरूप चुनाव का बहिष्कार करने हेतु सभी मतदाता सामुहिक रूप से मतदान कार्य में भाग नहीं ले रहें हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ विस्तृत चर्चा कर चुनाव एवं मतदान में भाग लेने हेतु समझाईश की गई।

आयोग द्वारा, जिन निर्वाचन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा परिसीमन से अंसतुष्ट होने के कारण चुनाव/मतदान का सामुहिक बहिष्कार किया जा रहा था, उनकी समस्या के उचित निराकरण हेतु राज्य सरकार को भी लिखा गया।

आयोग एवं जिला प्रशासन के उक्त प्रयासों के फलस्वरूप आगामी उप चुनावों में जयपुर जिले की पंचायत समिति तुंगा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 के सदस्य पद पर उप चुनाव हो गया किन्तु शेष पद अभी भी रिक्त चल रहें है।

उप चुनाव में भी उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण आयोग द्वारा पुनः राज्य सरकार को दिनांक 30.03.2021 को चुनाव/मतदान का सामुहिक बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों के निवासियों की समस्या का उचित समाधान करने के लिए लिखा गया।

आयोग कार्यालय का नवीनीकरण

आयोग कार्यालय में कार्मिकों की बैठक व्यवस्था हेतु दो हॉल उपलब्ध है। इन हॉल में कार्मिकों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2019 में होने वाले आगामी आम चुनावों में वर्तमान स्टॉफ सहित चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित होने वाले कार्मिकों की समुचित बैठक व्यवस्था हेतु आयोग द्वारा उक्त दोनों हॉल का नवीनीकरण का निर्णय लिया गया।

इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर वर्ष 2017 में उक्त दोनों हॉल का नवीनीकरण कराने हेतु वित्त विभाग से बजट आवंटित कराया गया। कार्मिकों के बैठने के लिए मॉड्यूलर फर्निचर लगवाकर पृथक–पृथक केबिन बनावाएं गए। प्रत्येक हॉल में हॉल के नियत्रंण अधिकारी के लिए पृथक से केबिन मय फर्निचर उपलब्ध कराया गया।

आयोग के स्वामित्व के स्टेट लेवल वेयर हाऊस हेतु जमीन एवं बजट आवंटन

राजस्थान राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली आयोग के स्वामित्व की ईवीएम/मतपेटी एवं अन्य चुनाव सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु जयपुर जिले में स्टेट लेवल ईवीएम वेयर हाऊस हेतु भारत निर्वाचन आयोग के वेयर हाऊस के समीप ही भूमि आवंटन के लिये आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को लिखा गया। प्रकरण मे कोई प्रगति नही होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में जिला कलक्टर, जयपुर एवं आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ कई बार बैठक आयोजित कर आयोग की ईवीएम भण्डारण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि आवंटन की अपेक्षा की गई।

उक्त प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रकरण राजस्व विभाग, कलक्टर जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य लम्बित होने की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता मे पुनः तीनों विभागों की एक बैठक दिनांक 02.03.2020 को रखी गई, उक्त बैठक में हुई चर्चा के क्रम में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्व ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 195/1301 का मौका निरीक्षण जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ किया गया। उक्त भूमि के निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में निर्मित भारत निर्वाचन आयोग के वेयर हाऊस के ठीक सामने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में पार्ट–1 का चिन्हित भाग राज्य निर्वाचन आयोग के ईवीएम वेयर हाऊस के लिए उपयुक्त है। अतः उक्त भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि आयोग के स्टेट लेवल ईवीएम वेयर हाऊस हेतु आवंटित करने के निर्देश आयोग द्वारा दिनांक 03.03.2020 को जिला कलक्टर, जयपुर एवं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये गये।

आयोग द्वारा विभिन्न सक्षम स्तर पर किए गए प्रयासों के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा न0 195/1301 झोटवाड़ा, जयपुर में 4331.16 वर्गमीटर भूमि दिनांक 02.08.2021 को आवंटित की जाकर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में लीज डीड जारी की गई। आवंटित भूमि पर स्टेट लेवल ईवीएम वेयर हाऊस के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10.00 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार आयोग के स्वामित्व के स्टेट लेवल ईवीएम वेयर हाऊस का निर्माण वर्ष 2023–24 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

आयोग के स्वामित्व के सम्भाग स्तर पर वेयर हाऊस निर्माण के लिए जमीन आवंटन

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनावों मे स्वयं के स्वामित्व की ईवीएम एवं मतपेटी तथा भारत निर्वाचन आयोग/अन्य राज्य निर्वाचन आयोगों से लोन बेसिस पर प्राप्त ईवीएम का भण्डारण राजकीय भवनों, विशेषकर शिक्षण सस्थानों के भवनो, का अधिग्रहण कर किया जाता रहा है। चूंकि उक्त प्रकार से अधिगृहित भवनों की स्थिति जर्जर होने एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का अभाव होने से ईवीएम/मतपेटी का सुरक्षित भण्डारण किया जाना सम्भव नही है एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा बार–बार भवनों को खाली किये जाने हेतु आयोग को लिखा जाता है। इस प्रकार आयोग द्वारा ईवीएम/मतपेटी का सुरक्षित भण्डारण किये जाने हेतु सम्भाग स्तर पर आयोग के स्वामित्व के वेयर हाऊस का निर्माण करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

वेयर हाऊस निर्माण के लिए प्रथमतया भूमि आवंटन की कार्यवाही की जानी थी। इस क्रम में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 4716 दिनांक 24.09.2021 से सम्भाग स्तर पर वेयर हाऊस निर्माण हेतु भूमि का आवंटन करवाये जाने हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखा गया। इस क्रम में निम्नांकित सम्भागों पर वेयर हाऊस निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है, जो निम्नानुसार हैः–

1. जिला जोधपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर संस्थान परिसर में भारत निर्वाचन आयोग के वेयर हाऊस के दक्षिण दिशा में 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन।
2. जिला उदयपुर में श्याम नगर योजना, ब्लॉक–बी, अम्बेडकर भवन के पास मोची समाज एवं 200 फीट सड़क के मध्य 944.17 वर्गमीटर भूमि का आवंटन।
3. जिला कोटा में ग्राम छत्रपुरा मे खसरा न. 130/49 में 4400 वर्गमीटर भूमि का आवंटन।
4. जिला अजमेर में 1371.60 वर्गमीटर भूमि का आवंटन।

राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त होने पर उक्त स्थानों पर वेयर हाऊस के निर्माण का कार्य करवाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिला भरतपुर एवं बीकानेर में आयोग के स्वामित्व के वेयर हाऊस के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था

राजस्थान राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव सम्पन्न करवाये जाने हेतु आयोग के पास सन् 2017 तक स्वयं के स्वामित्व की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एम.के.–4 एवं एम.के.–5 मॉडल की केवल 4969 कन्ट्रोल यूनिट एवं 6969 बैलेट यूनिट उपलब्ध थी, जिनमें से कुछ ईवीएम खराब स्थिति में होने से उपयोग में लेने योग्य नहीं थी। पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से सम्पन्न करवाये जाने हेतु राजस्थान में वर्ष 2018 में आयोग द्वारा प्रथम बार 7260 मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (7260 कन्ट्रोल यूनिट एवं 14520 बैलेट यूनिट) क्रय की गई। आयोग द्वारा उक्त मशीनों से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाया जाना संभव नही था। अतः वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग द्वारा ईवीएम क्रय की स्वीकृति एवं बजट राशि रूपये 19.33 करोड उपलब्ध करवाये जाने पर आदेश दिनांक 23.12.2019 से मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की 7560 कन्ट्रोल यूनिट एवं 15120 बैलेट यूनिट का क्रय आदेश जारी किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को इस हेतु राशि रूपये 8.05 करोड का अग्रिम भुगतान किया गया। कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में मशीनों की सप्लाई नहीं हो सकी तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट राशि उपलब्ध नहीं होने से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अग्रिम भुगतान की गई राशि की सीमा में रहते हुए 3138 सीयू एवं 6276 बीयू क्रय की गई।

इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मॉडल की कुल 10398 कन्ट्रोल यूनिट एवं 20796 ईवीएम क्रय की गई तथा इनका उपयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनावों में किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायो के आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से सम्पन्न करवाये जाने हेतु उक्तानुसार आयोग के स्वामित्व की ईवीएम पर्याप्त नही थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग से लोन बेसिस पर ईवीएम लिये जाने का निर्णय लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.08.2019 से बिहार, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा

राज्य से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एम–2 मॉडल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के एम–2 मॉडल की कुल 110000 कन्ट्रोल यूनिट एवं 130000 बैलेट यूनिट का आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को किया।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोन बेसिस पर प्राप्त की गई ईवीएम का उपयोग राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच पदों के आम चुनावों तथा नगरीय निकायों के आम चुनावों में किया गया। इस प्रकार पंच पद के चुनावों को छोडकर शेष सभी पदों के निर्वाचन मतदान मशीन के माध्यम से संपन्न कराए गए।

नवाचार

आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा व्यवधान रहित संपन्न करवाने के लिए वर्ष 2017 से 2022 के मध्य निर्वाचन प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाने के लिए कई नवाचार किए गए। इन नवाचारों से न केवल चुनावों को व्यवधान रहित संपन्न करवाया जा सका अपितु ये प्रयोग कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में भी मील का पत्थर साबित हुए। इस अवधि में जो नवाचार आयोग द्वारा किए गए उनका विवरण निम्नानुसार हैं :—

1. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों में 2019 तक मतदान मशीन का उपयोग सिर्फ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के पदों के निर्वाचनों में कुछ ही जिलों तक सीमित रखा गया था, जबकि सरपंच पद के निर्वाचनों के लिए मतपेटियों का ही प्रयोग किया जाता था।

   वर्ष 2020 से 2021 तक संपन्न हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में राज्य के समस्त जिलों में मतदान मशीन (EVM) का उपयोग किया गया। साथ ही राज्य की समस्त पंचायतों के सरपंचों पदों के निर्वाचन भी मतदान मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न कराए गए। इसका परिणाम यह रहा कि मतदान कार्य सुगमता से संपन्न हुआ। साथ ही इससे मतदान प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिला। निर्वाचनों में मतदान मशीन (EVM) के प्रयोग से सबसे ज्यादा असर मतगणना कार्य पर हुआ। इससे न केवल मतगणना कम समय में संपन्न कराई जा सकी, अपितु मतगणना कार्य व्यवधान एवं विवाद रहित संपन्न हो सका। विशेष रूप से सरपंच पद के निर्वाचनों के संदर्भ में यह प्रयोग चुनावों को हिंसा एवं व्यवधान रहित संपन्न करवाने में सहायक सिद्ध हुआ। पुनर्मतगणना की मांग भी लगभग नगण्य रही।

2. विगत आम चुनावों तक पंच एवं सरपंच के आम चुनाव हेतु मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुँचने के बाद आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा करने एवं नाम वापसी का कार्य एक ही दिन में संपन्न करते थे। इसके पश्चात् चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के अनुसार मतदान दल द्वारा पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की संख्या के अनुसार मतदान केन्द्र पर ही आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैलेट फार्म में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम हाथ से लिखे जाते थे।

बैलेट पेपर तैयार करने का कार्य देर रात्रि तक संपन्न हो पाता था तथा इसके अगले दिन ही पंच एवं सरपंच के लिए मतदान कार्य कराना होता था। मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतगणना प्रारम्भ हो जाती थी, जो कि देर रात्रि तक पूर्ण हो पाती थी। यह प्रक्रिया मतदान दलों के सदस्यों के लिए काफी लम्बी एवं थका देने वाली थी। इस लम्बी एवं थका देने वाले प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चुनाव/मतदान कार्य में त्रुटियां होने की संभावना बढ जाती थी।

वर्ष 2020 से पूर्व पंच एवं सरपंच के आम चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाते थे। वर्ष 2020 एवं 2021 में आयोग द्वारा सरपंच पद के लिए मतदान में ईवीएम का उपयोग किया गया। ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण पंच पद के निर्वाचनों में पूर्व की भांति मतपेटी का ही उपयोग किया गया। पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर उप चुनाव में प्रायोगिक तौर पर अपनाई गई प्रक्रिया को आम चुनाव में लागू किया गया। नवीन प्रक्रिया में पंच एवं सरपंच के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति एवं उनकी संवीक्षा के कार्य हेतु दो सदस्यीय मतदान दल मतदान के कुछ दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर उक्त कार्य संपन्न करता था। पूर्व प्रक्रिया में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो घण्टे ही निर्धारित थे, किन्तु नवीन प्रक्रिया में व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पूरा एक दिन उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात् अगले दिन प्राप्त किए गए नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा एवं नाम वापसी का कार्य करने हेतु निर्धारित किया गया। इस प्रक्रिया के पश्चात् लगभग 5–6 दिनों के बाद मतदान कार्य कराया गया। इसका लाभ यह हुआ कि इस अन्तराल में सरपंच पद का चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के अनुसार ईवीएम मतपत्र के मुद्रण का कार्य आसानी से हो गया। पंच पद के निर्वाचन में भी हस्तलिखित मतपत्रों के स्थान पर मुद्रित मतपत्रों का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्रक्रिया के लागू होने से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिला एवं मतदाताओं को भी अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिल गया।

इस प्रक्रिया का बडा लाभ यह भी हुआ कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में या निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति का पता उसी समय चल गया एवं मतदान कार्य के लिए मतदान दल को मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रही।

3. वर्ष 2015 में संपन्न हुए विगत आम चुनावों में पहली बार आयोग द्वारा विधानसभा डेटाबेस को वार्ड वार विभक्त कर फोटायुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की गई। आम चुनाव के पश्चात् संपन्न हुए उप चुनाव में आम चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कराकर उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियां तैयार कराई गईं। संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के अभाव एवं मतदाताओं की उदासीनता के कारण सामन्यतः नगण्य मात्रा में ही दावे व आपत्तियां प्राप्त होती थी। जिससे आम चुनाव वर्ष के पश्चात्वर्ती वर्ष में अर्हता प्राप्त करने वाले मतदाता अक्सर उप चुनाव में मतदान नहीं कर पाते थे।

   वर्ष 2020 में आम चुनाव से पूर्व संपन्न हुए उप चुनावों में आयोग द्वारा उक्त प्रक्रिया को परिवर्तित कर उप चुनावों हेतु भी निर्वाचक नामावली विधानसभा के डेटाबेस का उपयोग कर तैयार की गई। चूंकि विधानसभा की निर्वाचक नामावलियां प्रतिवर्ष अद्यतन की जाती है, अतः आयोग द्वारा प्रत्येक नवीन वर्ष में विधानसभा का अद्यतन डेटाबेस निर्वाचन विभाग से प्राप्त कर उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराई गई। इस प्रकार उप चुनाव हेतु तैयार निर्वाचक नामावली में उस वर्ष को अर्हता रखने वाले मतदाता का नाम स्वतः ही नामावली में जुड गया। इसका सीधा लाभ यह हुआ कि उप चुनाव में नवीन मतदाताओं को भी मतदान का अवसर प्राप्त हुआ एवं उप चुनाव में मतदान प्रतिशत में भी इज़ाफा हुआ।

4. प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली में नाम जोडने की अर्हता रखने वाला युवा मतदाता पर्याप्त जानकारी के अभाव में अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं कराता है। इसके अतिरिक्त आयोग को ऐसे छात्र–छात्राएं जो निकट भवष्यि में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले है, को मताधिकार के प्रति जागृत किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

   अतः ग्रामीण क्षेत्रों के योग्य मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने एवं निकट भवष्यि में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को उनके मताधिकार के प्रति जागृत करने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ स्कूलों का भ्रमण कर स्कूलों में अध्ययनरत ऐसे छात्र–छात्राएं, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं एवं उनके नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है, तो उन्हें अपना नाम नामावली में सम्मिलित कराने

हेतु प्रोत्साहित किया गया। छात्र–छात्राओं को यह भी समझाया गया कि यदि आपके परिवार में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उन्हें भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रेरित करें।

5. निर्वाचन से जुडे अधिकांश पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित होते हैं। अतः आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को आयोग के क्रिया–कलापों एवं निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उक्त अधिकारी अपनी राज्य सेवा के दौरान और बेहतर तरीके से चुनाव कार्य संपादित कर सके।

इस हेतु आयोग द्वारा हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण ले रहें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आधे दिवस का एक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 24.05.2022 को रखा गया। इस प्रशिक्षण सत्र में स्वयं आयुक्त महोदय एवं आयोग कार्यालय के सचिव एवं उप सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यो तथा नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन विधि एवं निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उक्त जानकारी में विशेष रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपन्न किए जाने वाली कार्यो को समाहित किया गया।

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिका नियम/अधिनियमों में संशोधन हेतु किए गए प्रयास

निर्वाचन कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में प्रभावी पंचायतीराज अधिनियम तथा नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन नियम 1994 में एवं नगरपालिका अधिनियम 2009 में बनाए गए थे। चूकि उक्त निर्वाचन नियम एवं अधिनियमों को बनाए हुए काफी समय हो चुका है, अतः निर्वाचनों के सुगम संचालन एवं निर्वाचन के संचालन के दौरान आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा अधिनियम एवं नियमों के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधी प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन आवश्यक समझे गए। अतः आयोग द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 1994 तथा नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में कतिपय संशोधन हेतु प्रस्ताव वर्ष 2018 से 2019 के मध्य राज्य सरकार के संबंधित विभागो को प्रेषित किए गए थे।

आयोग द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की निर्वाचनों से संबंधित कतिपय धाराओं में संशोधन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर पंचायतीराज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर विभाग के आयुक्त से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों को दिनांक 27.02.2019, 07.03.2019,18.03.2019, 27.03.2019, 02.09.2019 एवं 02.11.2019 को स्मरण पत्र प्रेषित किए गए। उक्त संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हेतु विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 12.07.2018 एवं 15.10.2019 को बैठक का आयोजन कर विभाग के अधिकारियों को संशोधनों पर उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई किन्तु आयोग द्वारा आवश्यक समझे गए समस्त संशोधन प्रस्ताव आदिनांक तक विभाग स्तर पर लम्बित हैं।

आयोग द्वारा नगरपालिका अधिनियम एवं निर्वाचन नियमों में संशोधन हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर आयोग द्वारा दिनांक 21.06.2018, 04.07.2018, 24.07.2018, 14.08.2018 एवं 06.02.2019 को स्मरण पत्र प्रेषित किए गए। आयोग के उक्त प्रयासों के फलस्वरूप विभाग द्वारा नियम–7, 22, 28 64, 66 एवं 74 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 10(1), 10(3) एवं 10(4) के अन्तर्गत विहित मतदाता सूची में नाम जोडने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु फॉर्म 3, 5 एवं 6 को तो संशोधित कर दिया गया है परन्तु शेष प्रस्ताव विभाग के स्तर पर आज भी लम्बित हैं।

आमजन को कोविड–19 संक्रमण से बचाव करते हुए मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन

आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु मतदान दिवस पर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील प्रकाशित करवाई गई। कोविड–19 संक्रमण के दौरान संक्रमण से बचाव करते हुए मतदान करने की अपील भी आयोग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करवाई। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन आयोग के द्वारा ही डिजाईन किए गए। समाचार पत्रों में मतदान दिवस के दिन प्रकाशित किए गए ऐसे विज्ञापनों की संख्या 20 रहीं। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से करने के निर्देश प्रदान किए गए।

निर्वाचनों के दौरान दर्ज मुकदमों का विवरण

आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव, छुटपुट मामलों को छोडकर, शांतिपूर्ण संपन्न कराए गए। निर्वाचनों के दौरान माह नवम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2021 के मध्य 22 जिलों में नगरपालिका चुनाव से संबंधित कुल 08 एवं पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित कुल 74 मुकदमें दर्ज हुए। इन मुकदमों में उन घटनाओं की संख्या अधिक है, जो मतदान केन्द्र के बाहर घटित हुई।

11 जिले ऐसे हैं जिनमें नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

आयोग कार्यालय हेतु पदों के सृजन हेतु किए गए प्रयास

चुनाव कार्य को सुगमता, निपुणता एवं नवीन तकनीकी क्षमताओं से सम्पन्न करवाये जाने हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को विभिन्न सेवाओं के पद सृजन हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये। जिनमें से राज्य सरकार द्वारा कुछ पद स्वीकृत किये गये, किन्तु कुछ पद आयोग के बार–बार प्रस्ताव भिजवाये जाने के पश्चात भी स्वीकृत नहीं किये गये। फिर भी आयोग द्वारा अपने सीमित संसाधनों से ही विभिन्न पेचीदगियों (परिसीमन, आरक्षण एवं कोर्ट केसेज) के बावजूद पंचायत एवं नगरनिकायों के समस्त आम–उप चुनाव समय पर सम्पन्न करवाये गए।

आयोग द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के मध्य राज्य सरकार को पद सृजन हेतु भेजे गये प्रस्ताव एवं राज्य सरकार द्वारा उन प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

1. आयोग के प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गए पदों का विवरण :–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	उप सचिव (पे माईनस पेंशन पर)	1
2.	कनिष्ठ लेखाकार के पद के एवज में कनिष्ठ सहायक का पद	1
3.	कनिष्ठ सहायक (प्रत्येक जिले में एक)	33
4.	प्रोग्रामर	1
5.	सूचना सहायक	1

2. आयोग कार्यालयों को वर्तमान में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों की आवश्यकता है:–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	1
2.	जनसम्पर्क अधिकारी / सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	1
3.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1
4.	सांख्यिकी अधिकारी	1

पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

चुनाव में पर्यवेक्षकों की महत्ती भूमिका होती है। चुनाव में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक आयोग की आंख एवं कान की भूमिका निभाते है। अतः आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों में बडी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2019 एवं 2020 में संपन्न हुए नगरीय निकायों के आम चुनावों में आयोग द्वारा कुल 98 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2020 एवं 2021 में संपन्न हुए आम चुनावों में कुल 307 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार आयोग द्वारा इन चुनावों के लिए कुल 405 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पर्यवेक्षकों के पदों पर प्रथमतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया गया किन्तु इन अधिकारियों की पूर्ण उपलब्धता नहीं होने पर भारतीय वन सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों के पद पर नियुक्त किया गया।

विगत आम चुनावों के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षको से चुनाव संबंधी सूचना/रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से मंगवाई जाती थी। ई–मेल के माध्यम से रिपोर्ट आने के पश्चात् उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं उन पर कार्यवाही किए जाने में थोडा समय लग जाता था। चूंकि चुनाव के दौरान प्रत्येक मामले में त्वरित कार्यवाही किया जाना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के लिए आवश्यक है, अतः इन चुनावों पर्यवेक्षकों से व्हाट्सअप के माध्यम से सूचना/रिपोर्ट मंगवाई गई, जिससे पर्यवेक्षकों द्वारा प्रेषित सूचना की जानकारी आयोग को हो जाती थी, एवं आयोग द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से सीधे ही पर्यवेक्षकों को निर्देश प्रदान कर दिए जाते थे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

आयोग द्वारा आम चुनाव की तैयारियों में निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं ईवीएम उपयोग के संबंध में दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 तक एक चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस आयोजन को दो सत्रों में विभाजित किया गया। प्रथम सत्र में मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय सत्र में ईवीएम के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। ईवीएम के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को ईवीएम उपयोग हेतु जीवंत प्रदर्शन भी दिखाया गया। ईवीएम के प्रशिक्षण में रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए दो मास्टर ट्रेनर को भी प्रशिक्षित किया गया, जो आम चुनाव के दौरान किसी भी स्थान पर कठिनाई महसूस होने पर उसका निवारण कर सके।

मतदान दलों का प्रशिक्षण एवं उनकी रवानगी

विगत आम चुनावों में मतदान दलों का प्रशिक्षण एवं उनकी रवानगी जिला मुख्यालय से एक ही स्थान से की जाती रही है। कोविड–19 संक्रमण के कारण इस बार ऐसा करना उपयुक्त नहीं था। अतः आयोग द्वारा मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थान के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को सीमित रखा गया एवं प्रशिक्षण सत्रों में दिलाया गया। प्रशिक्षण में कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था में उचित दूरी का पालन किया गया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए हाथ धोने के लिए साबुन, पानी अथवा सैनेटाईजर भी उपलब्ध कराया गया।

इसी प्रकार मतदान दलों की रवानगी में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, यदि वे जिला मुख्यालय से दलों की रवानगी चाहते थे तो, जिला मुख्यालय पर ही भिन्न–भिन्न स्थानों से दलों की रवानगी का कार्य किया गया। जो जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत समिति स्तर से दलों की रवानगी में सुविधा महसूस कर रहे थे उन्हें दलों की रवानगी पंचायत समिति स्तर से करने की अनुमति प्रदान की गई।

आम चुनाव के दौरान हुई आकस्मिक घटनाएं

वर्ष 2019 से 2020 के मध्य संपन्न हुए नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान सबसे दुःखद पहलू यह रहा कि चुनाव कार्य में नियोजित किए गए 32 कार्मिकों की विभिन्न कारणों से मृत्यु हो गई। उक्त 32 कार्मिकों में से अधिकांश की मृत्यु हृदयघात एवं सडक दुर्घटना के कारण हुई। इन 32 कार्मिकों में से 30 कार्मिक पंचायतीराज संस्थाओं एवं 2 कार्मिक नगरीय निकायों के चुनाव हेतु नियोजित किए गए थे।

चुनाव कार्य में नियोजित किए गए कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में नियमानुसार 20 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दौरान कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में 30 लाख रूपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। चुनाव के दौरान मृतक कार्मिकों के परिवारजन को उक्त अनुग्रह राशि दिलवाने में त्वरित कार्यवाही करते हुए 32 में से 24 कार्मिकों को अनुग्रह राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 3 प्रकरण उक्त परिधि में नहीं आने से उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। शेष 5 प्रकरणों में कमियां होने अथवा संदेहास्पद होने के कारण उनमें पाई गई कमियों/संदेह को दूर करने के लिए 5 प्रकरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को लौटाए गए है, जो उनके स्तर पर लम्बित चल रहें है।

निर्वाचनों के संचालन में सहायक विभाग/कार्यालय

चुनाव जैसे विशाल कार्य के संचालन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य व्यक्तियों की सहभागिता रहती है, क्योंकि चुनाव के दौरान अधिकांश कार्य विभिन्न राजकीय विभागों के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। वर्ष 2019 एवं 2020 मे संपन्न हुए आम चुनावों के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित कार्यालय/विभागों का पूर्ण सहयोग रहा :–

1. चुनाव कार्य के संचालन हेतु आयोग कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यालयों में अतिरिक्त मैनपावर की आवश्यकता रहती है। इस हेतु राजकीय विभागों, बोर्ड, निगम एवं अन्य उपक्रमों से आवश्यकतानुसार उक्त कार्यालयों हेतु कार्मिकों का अधिग्रहण किया गया, जिससे सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए उक्त कार्यालय हेतु कार्मिक उपलब्ध कराए गए।

2. जिला स्तर पर चुनाव कार्य के संपादन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) एवं जिला पुलिस अधीक्षक एवं इनकी टीम की महत्ती भूमिका रहती है। चुनाव के दौरान जिला स्तर पर उक्त पदों पर पदस्थापित सभी अधिकारियों एवं टीम द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ चुनाव कार्य किया गया, जिससे कुछ छुट–पुट घटनाओं को छोडकर चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हुए।

3. चुनाव के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों का सहयोग प्राप्त हुआ। इन विभागों में मुख्य रूप से गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, निर्वाचन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायतीराज विभाग इत्यादि सम्मिलित है।

4. माननीय न्यायालय में चुनाव से संबंधित प्रस्तुत याचिकाओं में आयोग की ओर से पैरवी करने के लिए आयोग द्वारा दो अधिवक्ता श्री विकास वालिया को जोधपुर बैंच एवं श्री आर. बी. माथुर को जयपुर बैंच के लिए नियुक्त किया हुआ हैं। उक्त दोनों अधिवक्ताओं ने आयोग की ओर से माननीय न्यायालय में चुनाव से संबंधित प्रस्तुत याचिकाओं में आयोग का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया।

आयोग चुनाव कार्य को सफल बनाने में सहयोग करने वाले उक्त सभी विभागों/कार्यालयों एवं अधिकारियों तथा आयोग के अभिभाषकों का आभार व्यक्त करता है।

उपसंहार

राज्य सरकार द्वारा देरी से एवं बार–बार किए गए परिसीमन, परिसीमन हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं का न्यायालय में विचाराधीन होना, राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दौरान नवीन निकायों/ग्राम पंचायतो का गठन करना एवं कोविड–19 संक्रमण के कारण नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो पाए। नगरीय निकायों के मुख्य रूप से दो बार में होने वाले आम चुनाव चार बार में संपन्न हुए। इसी प्रकार राज्य की समस्त पंचायतीराज संस्थाओ के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंचों के एक बार में होने वाले आम चुनाव सात बार में संपन्न हो पाए।

चुनाव समय पर निर्बाध एवं सुगमता से संपन्न हो इसके लिए आवश्यक है कि :–

1. राज्य सरकार द्वारा नवीन नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों का गठन एवं इनके गठन से प्रभावित होने वाले अन्य नगरपालिका एवं अन्य पंचायत क्षेत्रों के पुनर्गठन का कार्य चुनाव से लगभग 6 माह पूर्व ही संपन्न कर लिया जाए ताकि नवसृजित निकाय/पंचायत के चुनाव भी अन्य निकाय/पंचायत चुनावों के साथ ही संपन्न हो जाए।

2. राज्य सरकार द्वारा चुनाव से लगभग 6 माह पूर्व ही परिसीमन एवं आरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यदि मामला न्यायालय में भी जाता है तो उसका निस्तारण समय से हो सके एवं चुनाव प्रभावित न हो।

3. चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता में चुनाव की शुद्धता को दृष्टिगत रखते हुए अनेक कार्यो विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों का आचरण, आमजन को लाभ पहुंचाने वाले नवीन कार्य एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण को प्रतिबंधित किया जाता है, किन्तु राज्य सरकार के विभागों द्वारा अनावश्यक रूप से ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं जो आचार संहिता की भावना के अनुकूल नहीं होते है। विशेषरूप से चुनाव आचार संहिता के प्रभावी रहते कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश, जिससे चुनाव प्रबंधन पर सीधे ही विपरीत प्रभाव पडता है। राज्य सरकार को चाहिए कि वे आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित कार्य के संबंध में ऐसे कोई आदेश आयोग के अनुमति के बिना जारी नहीं करें, जिनसे चुनाव प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पडता हो।

4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा में यह देखा गया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी तकनीकी कमियां के आधार पर नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे अस्वीकृत किए गए नाम निर्देशन पत्रों के कतिपय मामलों में चुनाव लडने वाले व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर उनके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गई। अतः चुनाव के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हों, इसके लिए आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति एवं संवीक्षा कार्य गंभीरता से किया जाना चाहिए।

5. पंचायतीराज संस्थाओं में जिलों के जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन दलीय आधार पर होते है। अतः आयोग द्वारा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए जाते हैं। इस हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन हेतु प्रक्रिया/विधि निर्धारित की गई है। किसी अभ्यर्थी को किसी राजनैतिक दल द्वारा खडा किए जाने की सूचना हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित राजनैतिक दल की राज्य ईकाई के अध्यक्ष/सचिव अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त करनी होती है। इस प्रारूप की मूल प्रति व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द करनी होती है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन हेतु जारी अधिसूचना में प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के संबंध में प्रक्रिया विहित की गई है।

निर्वचनों के दौरान देखा गया है कि राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी को दल की ओर से नामांकित करने में निम्नलिखित गलतियां की जाती हैंः–

i. दल द्वारा अभ्यर्थी को खडा करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप को सही प्रकार से भरकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

ii. दल द्वारा अभ्यर्थी को खडा करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप को रिटर्निंग अधिकारी को इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

iii. राजनैतिक दलों द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों को दलीय सम्बद्धता हेतु प्रारूप

जारी कर दिया जाता है एवं पहले अभ्यर्थी को जारी किया गया प्रारूप निरस्त नहीं किया जाता है।

iv. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नाम अंकित नहीं किया जाता है, जिससे अनुमोदित उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र किसी कारण से निरस्त होने पर उस दल की उम्मीदवारी समाप्त हो जाती है।

उक्त त्रुटियों के कारण राजनैतिक दलों द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी के विरूद्ध रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर उनके निर्णय के विरूद्ध उच्चाधिकारियों को शिकायत की जाती हैं। अतः चुनाव के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो इसके लिए आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि राजनैतिक दलों द्वारा उनके पदाधिकारियों को इस विषय के बारे में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. आयोग नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त आम चुनाव ईवीएम से कराए जाने का विचार रखता है किन्तु ईवीएम की पर्याप्त उपब्धता के अभाव में ऐसे संभव नहीं हो पा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से लोन बेसिस पर ईवीएम लेने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के नीतिगत निर्णय के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के पास एम–3 एवं इसके बाद के मॉडल की ईवीएम राज्य निर्वाचन आयोगों को लोन बेसिस पर उपलब्ध कराने हेतु मना कर दिया गया है। एम–3 मॉडल से पूर्व की ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग के पास सीमित संख्या में उपलब्ध होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोगों को आवश्यक संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाती है। जितनी संख्या में मशीनें उपलब्ध हो पाती है, उनके परिवहन में भी बडी राशि खर्च हो जाती है।

अतः इस संबंध में आयोग का मत है कि नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं समस्त चुनाव ईवीएम से कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं के स्वामित्व की पर्याप्त संख्या में ईवीएम होना आवश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार को चाहिए की प्रत्येक वर्ष आयोग द्वारा ईवीएम क्रय करने हेतु राशि आंवटित करें ताकि अगले कुछ वर्षो में आयोग के स्वामित्व की पर्याप्त मशीनें निर्वाचनों हेतु उपलब्ध हो सके एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग का मुखापेक्षी नहीं होना पड़े।

कोरोना काल में राज्य निर्वाचन आयोग ने सबसे ज्यादा चुनाव कराने का बनाया रिकॉर्ड

ढोल बजाकर दी मतदान की सूचना

पंचायत चुनाव: जोश जीता, कोरोना हारा

थानागाजी के अजबपुरा गांव में 26 साल की युवती हैं प्रियंका नरूका

फैशन डिजाइनर बेटी बनी सरपंच, अब गांव की बदलेगी डिजाइन

पत्रिका सोशल प्राइड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नजीर; प्रशासन की परीक्षा

कोरोनाकाल में पंचायत चुनाव 85 प्रतिशत रिकॉर्ड वोटिंग

28 सितंबर को कोरोना काल में चुनाव कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। राज्य की 947 ग्राम पंचायतों में सरपंच

चुनाव बहिष्कार: नायब तहसीलदार, गिरदावर ने तीन गांवों के लोगों से की समझाइश

महानगर संवाददाता

निकाय चुनाव: जिला निर्वाचन विभाग ने की तैयारी

संक्रमित मतदाताओं की सूची तैयार होगी

शाम पांच बजे से पीपीई किट में देंगे वोट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नगर निगम आम चुनाव-2020

'सुरक्षित चुनाव' के लिए कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की हो कड़ाई से पालना : मेहरा

POLLS IN TIMES OF COVID-19

SEC's 'micro corona mgmt' sets an example

After the successful panchayat polls, the commission has now pledged to conduct civic body elections in a safe manner in the most corona infected cities of Jaipur, Jodhpur and Kota.

82.25 voting percentage was recorded.

The commission had made masks mandatory for all voters and had given a slogan of 'ghoonghat mein bhi mask" (mask in veil too). And the result was that

Covid fails to stop people from voting

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The second phase of the municipal polls witnessed scattered and low turnout at many booths in Municipal Corporation Jaipur, Greater, on Sunday.

Although, the percentage of voting was similar to JMC, Heritage, due to many polling booths spread across a vast area, the crowd was scattered.

both his parents. "My mother died on October 27 and my father died on October 31. We cremated my father on October 31 evening, but I still came to vote as development of the city and country is also important. We will complete the rituals after returning home," said Taapadiya.

Many first-time voters also exercised their franchise.

Mehra emerges as global corona election performer!

The Election Commissioner set example for the country and world by conducting "safe elections" first time in the world since Corona pandemic

First India Bureau

PS Mehra

तैयारी चुनाव की: दो दिन पहले सैनेटाइज़ होंगे मतदान स्थल

मास्क, सैनेटाइजेशन, उचित दूरी पर रहेगा जोर

प्रत्येक 25 वार्ड पर एक स्वास्थ्य अधिकारी रहेंगे नोडल

कोरोना महामारी के बीच 'सुरक्षित चुनाव' करवाकर देश-दुनिया के लिए मिसाल बने चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा

कोरोना से बचाव के लिए बनाई विशेष रणनीति

पल-पल की रखते हैं नज़र

25 वर्ष बाद रीठौली के मतदाताओं ने किया मतदान

पंचायत चुनाव
घूंघट में भी लगाना होगा मास्क

जयपुर @ पत्रिका. पंचायत चु... के आगामी चरणों में अब म... मतदाताओं को घूंघट करने ... भी मतदान केन्द्र में मास्क ले... होगा। राज्य निर्वाचन ... पंचायत चुनाव के शेष ... लिए नए दिशा निर्देश ...

ऐतिहासिक • कोरोनाकाल में चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

कोरोना में भी वोटर धर्म निभाया... पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 83.5% वोटिंग, जनवरी में 81.83% थी

974 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए पहले चरण में 26.45 लाख लोगों ने डाला वोट

ये गलत है ...लेकिन ये नागरिक धर्म...

110-year-old Kali Devi cast her vote with her grand daughter.

प्रशासन की समझाइश के बाद वोट देने के लिए माने ग्रामीण, बोले-अब मतदान करेंगे

CIVIC BODY POLLS

Holding municipal polls in Corona a big challenge

Dr Rituraj Sharma

Jaipur: Conducting municipal corporation elections amid the increase in coronavirus spread will be a difficult task for administration in Jaipur where ensuring social distancing at polling booths located in the narrow streets and lanes in the walled city will be a prime challenge. In Jaipur, elections of the Municipal Corporations of Jaipur Great and Jaipur Heritage will take place.

First phase of voting in Pachayat elections took place in the state on Monday but despite a comprehensive guideline of the state election commission for ensuring social distancing and other protocols, there were violations at many polling booths. It is anticipated that during the municipal corporation elections, maintaining social distancing will not only be tough and it will be more challenging given the fact that walled city of Jaipur have narrow lanes and streets and many polling booths are set up in such localities. The state EC had reduced number of voters at a polling station from 1100 to 900 in elections and increased poll booth. There are 1500 voters per booth in Jaipur and shortage of space for increasing booths, particularly in congested and densely populated areas. Jaipur Greater and Jaipur Heritage have a total of 21.61 lakh voters and 1941 booths will be set up in elections.In Municipal Corporation Jaipur Heritage, number of voters and polling booths is 9.32 lakh and 845 respectively, while voters and booths in Municipal Corporation Jaipur Greater are 12.28 lakh, 1096 (voters) respectively.

THE DILEMMA

Civic body polls will be tough and challenging in walled city of Jaipur due to narrow lanes and congested streets. Gram panchayats have no shortage of space for polling booths but situation is adverse here.

पोलपट्टी

जयपुर समेत 6 निगमों में 31 अक्टूबर तक कराएं चुनाव, हफ्तेभर में जारी हो कार्यक्रम : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा- समय बढ़वाने की जरूरत हो तो हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करें

फैसले का सम्मानः धारीवाल

कोरोना संक्रमित कर सकेंगे वोट, भर्ती मरीज नहीं करेंगे मतदान

आयोग के पर्यवेक्षक ने बामनवास एवं गंगापुरसिटी में जांची व्यवस्थाएं

पंचायत आम चुनाव-2020
मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन का हो कड़ाई से पालन : मेहरा

कोरोना के बीच सुरक्षित चुनाव करवाकर बनाया रिकॉर्ड

मिसाल बना राजस्थान चुनाव आयोग

संक्रमित मतदाता और उम्मीदवारों ने की प्रोटोकॉल की पालना

बढ़-चढ़कर मतदाताओं ने लिया हिस्सा

पॉजिटिव व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया

पंचायत राज आम चुनाव 2020 तृतीय चरण

प्रोटोकॉल की पालना के साथ कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान

जागरूक टाइम्स संवाददाता

जयपुर। जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव 2020 में रोग लक्षणों वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान कर सकते हैं। जिला ... (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलेक्टर अन्तर सिंह ... लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ... निर्देशानुसार मतदान से एक दिन पूर्व ... की सूचना संबंधित रिटर्निंग ... अधिकारी को मुख्य ... जायेगी। ... पॉजिटिव ...

डूंगरपुर में आम चुनाव के दौरान कोविड से बचाव के लिए नवाचार

शांति पूर्ण मतदान के लिए पुलिस कर्मियों ...

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
पंचायत चुनाव-2020
आपको ध्यान है क्या
आज 10 अक्टूबर है
बिना मास्क
मतदान नहीं
चतुर्थ और अंतिम चरण के लिए
आज है मतदान दिवस
कोरोना से बचाव भी
और
पंचायत चुनाव भी
चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया है। अतः मतदान के समय भीड़ का हिस्सा ना बनें। तय समय में शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सकता है मतदान।
मतदाता मतदान के समय इन बातों का रखें ध्यान
प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है।
मतदान केन्द्र में जाने से पहले हाथों को साबुन/पानी से हाथ धोना या सेनेटाइज करना न भूलें।
मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर, सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें।
मतदान केन्द्र पर थूकना, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
मतदान में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें।
जो महिला मतदाता घूंघट में मतदान के लिए आती हैं, वे भी मास्क लगाना न भूलें।
मतदान केन्द्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े न रहें।
कोरोना के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए निर्देशों की पालना करते हुए करें मतदान। कोरोना में लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए।
मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी
राजस्थान संवाद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव-2020
मतदाताओं से अपील
कोरोना से बचाव के साथ करें मतदान
प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए मतदान चार चरणों में होगा।
प्रथम चरण 23 नवंबर
द्वितीय चरण 27 नवंबर
तृतीय चरण 01 दिसंबर
चतुर्थ चरण 05 दिसंबर
प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज (23 नवंबर) को प्रातः 7:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक मतदान होगा।
लोकतंत्र के इस महोत्सव में मतदाता अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करें।
मतदाता मतदान के समय इन बातों का रखें ध्यान
मतदान केन्द्र में प्रवेश से पहले अपने हाथों को सेनेटाइज करना न भूलें।
प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है।
मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर, उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें।
मतदान में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें।
जो महिला मतदाता घूंघट/बुर्के में मतदान के लिए आती हैं, वे भी मास्क लगाना न भूलें।
मतदान केन्द्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े न रहें।
मतदान केन्द्र पर थूकना, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
मतदान के पश्चात तुरन्त अपने घर लौट जावें।
नो मास्क-नो एंट्री
मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
पंचायत चुनाव-2020
कोरोना से बचाव भी और पंचायत चुनाव भी
पहले चरण के लिए आज मतदान होगा
कोरोना जैसी महामारी के बीच मतदाताओं और उम्मीदवारों पर सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी सभी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों की पालना के साथ चुनाव प्रचार और मतदान के लिए निकलें।
प्रचार के दौरान उम्मीदवार एवं उनके समर्थक रखें इन बातों का ध्यान
अभ्यर्थी अपने घर से साबुन से हाथ धोकर या सेनेटाइज करके निकलें। प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्ति फेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आपस में 2 गज (6 फीट) की दूरी बनाकर रखें।
अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहें।
घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हों।
मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाएं, ना गले मिलें, ना ही पैर छुएं और ना सिर पर हाथ रखें।
चुनाव प्रचार के दौरान बाइक रैली, वाहन रैली या किसी भी प्रकार की चुनावी सभा के आयोजन पर प्रतिबंध है।
प्रोटोकॉल के उल्लंघन होने पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही संभव है।
मतदाता मतदान के समय इन बातों का रखें ध्यान
प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है।
मतदान केन्द्र में जाने से पहले हाथों को साबुन/पानी से हाथ धोना या सेनेटाइज करना न भूलें।
मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर, सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें।
मतदान केन्द्र पर थूकना, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
मतदान में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें।
मतदान केन्द्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े न रहें।
शेष पंचायतों में चुनाव इस प्रकार चरणवार होगा
द्वितीय चरण में 3 अक्टूबर (शनिवार)
तृतीय चरण में 6 अक्टूबर (मंगलवार)
चतुर्थ चरण में 10 अक्टूबर (शनिवार)
मतदान समयः प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक
मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी
राजस्थान संवाद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगर निगम चुनाव-2020

मास्क नहीं मतदान नहीं

कोरोना से भी बचना है - मतदान भी करना है

प्रथम चरण-29 अक्टूबर, 2020 (गुरुवार)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में होगा मतदान

द्वितीय चरण-01 नवंबर, 2020 (रविवार)
नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में होगा मतदान

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उम्मीद है कि शहरी मतदाता भी मतदान करने में पीछे नहीं रहेंगे।

मतदाता मतदान के समय इन बातों का रखें ध्यान

- मतदान केन्द्र में प्रवेश से पहले अपने हाथों को सेनेटाइज करना न भूलें।
- प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मास्क अवश्य लगायें।
- मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर, उचित दूरी रखते हुए अपनी बारी का इंतजार करें।
- मतदान में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें।
- जो महिला मतदाता घूंघट/बुर्के में मतदान के लिए आती हैं, वे भी मास्क लगाना न भूलें।
- मतदान केन्द्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े न रहें।
- मतदान केन्द्र पर थूकना, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- मतदान के पश्चात तुरन्त अपने घर लौट जावें।

मतदान का समय प्रात: 7.30 बजे से 5.30 सायं बजे तक।

मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं।

समय पर मतदान के लिए पहुंचे, आखिरी पलों का इन्तजार न करें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

राजस्थान संवाद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मास्क नहीं **नगर निगम चुनाव-2020** मतदान नहीं

नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में

द्वितीय चरण का मतदान 1 नवंबर (रविवार) 2020 को होगा

प्रथम चरण में जयपुर में 57.82%, जोधपुर में 62.64% और कोटा में 65.12% मतदान हुआ है। चुनाव में सुरक्षित मतदान को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

सभी मतदाताओं से अपील है कि वे द्वितीय चरण में और ज्यादा उत्साह से मतदान करें।

राज्य निर्वाचन आयोग ने

- कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या घटाई है।
- सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है।
- मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो इसके लिए मतदान की समय अवधि बढ़ाई है।

जब राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए कर रहा हर संभव प्रयास, तो आप मतदान करने में क्यों है पीछे?

1 नवंबर 2020 को मतदान करने जरूर जाएं

मतदान के दौरान इन तीन चीजों का रखें विशेष ध्यान-

- मास्क लगाकर मतदान के लिए घर से निकलें।
- मतदान केंद्र में प्रवेश से पूर्व हाथों को सैनिटाइज करें।
- मतदाता पंक्ति में चिन्हित स्थानों पर खड़े रहकर आपस में उचित दूरी रखते हुए मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करें।

मतदान केन्द्र या आस-पास भीड़ या समूह में खड़े ना रहें।

मतदान का समय सुबह 7.30 से सायं 5.30 बजे तक

मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

राजस्थान संवाद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगर निकाय चुनाव-2021

मतदाताओं से अपील

कोरोना से बचाव के साथ करें मतदान

नो मास्क - नो एन्ट्री

प्रदेश के 20 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर) के 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद् और 80 नगर पालिका) में सदस्य पद के लिए

आज 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा

प्रदेश के मतदाताओं ने पिछले सभी चुनावों में कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग किया है। निकाय चुनाव-2021 में भी आप कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकाल की पालना करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें व अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

मतदाता मतदान के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान

- मतदान केन्द्र पर मास्क अवश्य लगाकर जाएं
- मतदान केन्द्र में प्रवेश से पहले हाथों को सेनेटाइज करें
- मतदान के लिए इंतजार करते समय उचित दूरी का रखें खास ध्यान

मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

राजस्थान संवाद

राज्य स्तरीय ईवीएम वेयरहाउस का शिलान्यास दिनांक 27.06.2022 को माननीय आयुक्त महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ

राष्ट्रीय सेवा योजना

मास्क बैंक
Voter Assistance Booth
सूचना पट